नगर परिषद बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि
1–4–2015 से 31–3–2017

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद् बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद् बद्दी में नियन्त्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :–

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री मदन लाल	1.4.2015 से 31.3.2017

कार्यकारी अधिकारी

1	श्री सुधीर शर्मा	1.4.2015 से 15.4.2015
2	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	16.4.2015 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	रद्द चैकों का आय में पुर्नलेखांकन न करना	4(ड़);पपप ब्द्व	1.46
2	दिनांक 01–04–2015 से पूर्व प्राप्त अनुदानों का दो वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	9(ख)	103.28
3	वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त अनुदानों का उपयोग करने में विफलता	9(ग)	3.03
4	बैंक द्वारा सावधी निवेश खातों में कम ब्याज दिए जाने बारे	11	7.26
5	आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि को भुगतान का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	19	21.95
6	नियमों की अवहेलना करके गवन अथवा परिषद की सम्पत्ति	34	4.27

	पर अवैध कब्जे का प्रयत्न		
7	बिजली शुल्क की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	35	52.27
8	राज्य दवा नियन्त्रक कार्यालय से किराया वसूली का शेष पाया जाना	36	10.60
9	दुकानों को किरायेदारो द्वारा खाली करने पर बकाया किराये की वसूली न करने बारे	38	3.12
10	रख–रखाव प्रभार का वसूली हेतु शेष पाया जाना	44	67.57
11	दुकानों के किराये का वसूली हेतु शेष पाया जाना	45	14.01
12	प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय की वसूली न करना	47	2.07
13	निक्षेप कार्य (Deposit Work) की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न करना	48	14.50
14	टैंडर आमन्त्रित किए बिना अनियमित व्यय	53	5.08
15	4491.8 किलोग्राम सरिये का दुर्विनियोजन	54	1.90
16	सुरक्षा दीवार निर्माण में अधिक भुगतान	56	4.38

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट– ''1''** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद द्वारा 261 लम्बित पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद बद्दी के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी (ले•प•), श्री सुनीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री पुनीत कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 15.07.2017 से 26.10.2017 के दौरान नगर परिषद बद्दी में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर माह 07/2015 व 02/2017 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 12/2015 व 03/2017 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर किया

गया है। किसी प्रकार की गलत अथवा अधूरी सूचना व सूचना उपलब्ध न करने हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद बद्दी के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण करने हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹89,800 बनता है। उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/–177 दिनांकः 26/10/2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बद्दी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार तथा वर्तमान अंकेक्षणावधि के दो वर्षों तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी। अंकेक्षण पूर्व के 2012–13 से 2014–15 तक के तीन वर्षों तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि 2015–16 से 2016–17 की वितीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट ''2''** पर है।

आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
वर्तमान अंकेक्षणाधीन दो वर्षों की अवधि की वित्तीय स्थितिः–						
			2015–16			
स्वस्त्रोत	5,59,52,882	1,32,18,747	1,67,24,132	8,58,95,761	2,11,14,943	6,47,80,818
अनुदान	25,32,73,771	4,51,52,969	0	29,84,26,740	13,21,83,786	16,62,42,954
कुल	**30,92,26,653**	**5,83,71,716**	**1,67,24,132**	**38,43,22,501**	**15,32,98,729**	**23,10,23,772**
			2016–17			
स्वस्त्रोत	6,47,80,818	2,27,65,679	1,00,28,824	9,75,45,321	3,89,79,528	5,85,95,793
अनुदान	16,62,42,954	12,10,52,416	0	28,72,95,370	21,76,25,424	6,96,69,946
कुल	**23,10,23,772**	**14,38,18,095**	**1,00,28,824**	**38,48,70,691**	**25,66,04,952**	**12,82,65,739**

(ख) बैंक समाधान विवरणी

परिषद् द्वारा दिनांक 31.03.2017 को सावधि जमा में किया गया निवेश (विवरण **परिशिष्ट ''3''** में उपलब्ध)		17901808.00
बैंक बचत खातों में दिनांक 31.03.2017 को जमा राशि का विवरण		
जे. सैं. सह. बैंक खाता संख्या 100234001003204	4318601.00	
ऐक्सिस बैंक खाता संख्या 366010100170284	53537746.00	
पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 4131000100034650	18751.00	
एच डी एफ सी बैंक खाता संख्या 50100187626237	17059014.00	
आई सी आई सी आई बैंक खाता संख्या 049901000353	8493313.00	
आई सी आई सी आई बैंक खाता संख्या 658901700103	320865.00	

आई सी आई सी आई बैंक खाता संख्या 049901000634	64373.00	
आई डी बी आई बैंक खाता संख्या 165104000049319	26461420.00	
परवाणू अरबन कोऑपरेटिव बैंक खाता संख्या 10510100001129	1461365.00	
बचत खातों के शेष का दिनांक 31.03.2017 को कुल योगः		111735448.00
निवेश तथा बचत खातों के शेष अनुसार दिनांक 31.03.2017 को परिशद् की वित्तीय स्थितिः–		129637256.00
(ग) बैंक समाधान विवरणी :–		
रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.03.2017 का शेष (गत पैरा ''4'')		128265739.00
निवेश तथा बचत खातों के शेष अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष	129637256.00	
(+) जमाः– आई सी आई सी आई बैंक द्वारा ऑनलाईन जमा सुविधा हेतु दी गई पी. ओ. एस. मशीन के एवज़ में काटा गया शुल्क जो कि रोकड़ बही में व्यय में दर्ज नहीं है तथा वापिस लिया जाना अपेक्षित हैः	1724.00	
जमा के पश्चात समायोजित बैंक शेषः–	129638980.00	
(–) घटावः– 1. पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 4131000100034650 में अर्जित ब्याज जो कि रोकड़ बही में आय में दर्ज नहीं है	183.00	
2. चैक जो कि परिशद् द्वारा जारी किए गए मगर बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए (विवरण निम्न तालिका में दर्ज)	1373058.00	
घटाव का कुल योगः	1373241.00	
(ख) घटाव के पश्चात समायोजित बैंक शेषः		128265739.00
अन्तर (क–ख)ः–		शून्य

(घ) जारी चैक जो भुगतान हेतु बैंक में 31–03–2017 तक प्रस्तुत नहीं किए गए का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट ''3.1'')

क्र॰	**चैक सं.**	**दिनांक**	बैंक	**जिसको जारी किया गया**	**राशि**
1	95006	31.10.2016	आई डी बी आई बैंक	सचिव, हि प्र कामगार बोर्ड शिमला। (लेबर सैस)	144689
2	95010	31.10.2016	आई डी बी आई बैंक	लेबर ऑफिसर बद्दी (लेबर सैस)	1461

3	95033	31.03.2017	आई डी बी आई बैंक	भारतीय स्टेट बैंक, टी डी एस खाता।	235098
4	95034	31.03.2017	आई डी बी आई बैंक	ई टी ओ बद्दी (बिक्री कर)	465000
5	95035	31.03.2017	आई डी बी आई बैंक	सचिव, हि प्र कामगार बोर्ड शिमला। (लेबर सैस)	521542
6	95036	31.03.2017	आई डी बी आई बैंक	लेबर ऑफिसर बद्दी (लेबर सैस)	5268
भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए चैकों का कुल योग					**1373058**

(ड़) बैंक समाधान विवरणी के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियां

(i) आई सी आई सी आई बैंक द्वारा जारी पी. ओ. एस. मशीन (POS Machine) के लिए किराए की अनुचित वसूली करना

नगर परिषद् बद्दी द्वारा आम जनता से प्राप्य राशियों के ऑनलाइन प्राप्ति हेतु आई सी आई सी आई बैंक द्वारा परिषद् कार्यालय में पी. ओ. एस. मशीन स्थापित की गई थी जिसके किराए के रूप में बैंक द्वारा ₹1724 वसूल की गई है। चूंकि इस मशीन की स्थापना के कारण बैंक को भी एक बड़ी जमा राशि प्राप्त होती है क्योंकि इस सुविधा के कारण परिषद की अधिकतर आय अन्य बैंकों में जमा होने के स्थान पर इसी बैंक में जमा हो रही है जो कि प्रतिवर्ष एक से डेढ़ करोड़ रूपये के बीच होती है, अतः इस पर बैंक द्वारा किराया वसूल किया जाना अनुचित है। अतः बैंक के साथ इस मामले को उठा कर किराए के रूप में काटी गई इस राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) पंजाब नैशनल बैंक द्वारा बचत खाते पर दिए गए ब्याज का रोकड़ बही में 31–03–2017 तक लेखांकन न करना

पंजाब नैशनल बैंक द्वारा परिषद् के बचत खाता संख्या 4131000100034650 पर ₹183 का ब्याज दिया गया है जिसे दिनांक 31–03–2017 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में अब प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(iii) ₹1,46,150 के रद्द चैकों का आय में पुर्नलेखांकन न करना

जारी बैंक चैकों जो कि भुगतान हेतु दिनांक 31–03–2017 बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए थे के गत पैरा 4 (ग) में संकलित विवरण के क्रमांक 1 व 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रम 1 व 2 पर वर्णित आई डी बी आई बैंक के ₹146150 (₹144689+1461) के चैक दिनांक 31–10–2016 को जारी किए गए हैं। वर्तमान बैंक नियमों के अनुसार यह चैक तीन माह के अन्दर दिनांक 31–01–2017 तक आहरित न किए जाने के कारण रद्द हो चुके हैं तथा इन्हें दिनांक 01–02–2017 को परिषद की रोकड़ बही में आय में दर्ज किया जाना

अपेक्षित था परन्तु नहीं किया गया है। इस बारे में उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अब अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश

नगर परिषद् द्वारा दिनांक 31–03–2017 को सावधि जमा में निवेश की गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिश्ट ''4''** में भी दिया गया है :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	सावधि जमा संख्या	निवेशित राशि	निवेश की तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि
1)	एच0डी0एफ0सी	5030008173741	29,73,215	14.7.15	8.20%	15.7.17	34,98,065
2)	पंजाब नेशनल बैंक	272100PR00015037	38,94,029	1.11.16	7.20%	1.11.17	41,82,060
3)	कैनरा	3436401002463/1	52,14,000	1.7.16	6.75%	1.7.17	56,16,187
4)	कैनरा	2436401002525/1	58,20,564	26.8.16	7.25%	26.8.17	62,54,168
			1,79,01,808				**1,95,50,480**

6 निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के लिए परिषद् द्वारा निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। गत अंकेक्षण के दौरान भी इस सन्दर्भ में आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु अपेक्षित कार्यवाही करने के स्थान पर परिषद् द्वारा मात्र रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में निवेश विवरणी बनाई जाती है न कि निवेश रजिस्टर तैयार किया गया। इस प्रकार के अभिलेख के अभाव में निवेशित राशि की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज व परिपक्वता राशि की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः पुनः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य हेतु निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 गत तीन वर्षों की आय तथा व्यय से सम्बन्धित विवरण

नगर परिषद की गत तीन वर्ष से सम्बन्धित आय तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आय (स्वतः, आय, अनुदान+ब्याज)	व्यय
2014–15	284224755+7776755 =292001510	37415561
2015–16	58371716+16724132=75095848	153298729
2016–17	143818095+10028824=153846919	256604952

8 अनुदानों की वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अवधि में अनुदान राशि प्राप्ति/व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित पाया गया तथा प्राप्त अनुदान राशियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''5'' में दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अन्त शेष
वर्तमान अंकेक्षणाधीन दो वर्षों की अवधि की वित्तीय स्थितिः–					
2015–2016	25,32,73,771	4,51,52,969	29,84,26,740	13,21,83,786	16,62,42,954
2016–2017	16,62,42,954	12,10,52,416	28,72,95,370	21,76,25,424	6,96,69,946

9 अनुदान से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) सरकारी अनुदान की राशियाँ व्यय हेतु शेष

गत पैरा में संकलित तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में ₹16.62 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में ₹6.97 करोड़ की राशि परिषद के पास प्राप्त अनुदानों में से बिना व्यय किए शेष में पड़ी है। प्रतिवर्ष इतना अधिक अन्त शेष यह परिलक्षित करता है कि परिषद इन अनुदानों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में विफल रही है तथा वित्तीय प्रबन्धन में तुरन्त सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। अतः भविष्य हेतु यह सुझाव दिया जाता है कि परिषद् के वित्तीय प्रबन्धन को और मजबूत करते हुए प्राप्त अनुदानों का सही तथा उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) दिनांक 01–04–2015 से पूर्व प्राप्त ₹103.28 लाख के अनुदानों का दो वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग न करना

परिशिष्ट ''6 व 6(क)'' में संकलित विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 01–04–2015 से पूर्व में ''राजीव आवास योजना में ₹3,28,000' तथा ''सीवरेज की मद में ₹1,00,00,000'' प्राप्त हुए थे जिनका वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त दिनांक 31–03–2017 तक भी उपयोग नहीं किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तुरन्त इस राशि के उचित उपयोग हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त ₹3.04 लाख के अनुदानों का उपयोग करने में विफलता

परिशिष्ट ''6 व 6(क)'' में संकलित विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के दौरान ''स्वच्छ भारत योजना में ₹3,03,590'' प्राप्त हुए थे जिन्हें वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त दिनांक 31–03–2017 तक भी उपयोग नहीं किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तुरन्त इस राशि के उचित उपयोग हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान रजिस्टर को अनुरक्षण बारे

नगर परिषद बद्दी में लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान रजिस्टर में प्राप्त अनुदानों का पूर्ण ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है। इसमें मात्र अनुदान की प्राप्ति के

संदर्भ में ही प्रविष्टि की जाती है तथा इसमें से वर्ष विशेष के दौरान व्यय की गई राशि तथा वर्शान्त शेश के लिए प्रविश्टि व गणना नहीं की गई है। इस अधूरे ब्यौरे के कारण इस अभिलेख के अनुरक्षण का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविश्य हेतु अनुदान रजिस्टर में आरम्भिक शेश, वर्श के दौरान प्राप्ति, व्यय तथा अन्त शेश का सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज किया जाना सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने के कारण बैंक सावधि निवेश में ₹7.26 लाख के ब्याज की कम प्राप्ति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–94 दिनांकः 05/06/2017 के सन्दर्भ में **परिशिश्ट "7"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना जो कि निम्न तालिका में संकलित है, के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान परिपक्व हुई बैंक सावधी जमा निवेश राशियों पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा ₹7,26,374 का कम ब्याज परिशद को दिया गया है। इस कम जमा ब्याज की गणना अंकेक्षण के दौरान की गई है जो यह दर्शाता है कि परिशद द्वारा ₹3.12 करोड़ का बैंकों में सावधि निवेश किए जाने के बावजूद भी इनका वित्तीय प्रबन्धन उचित तरीके से नहीं किया गया है। इस चूक के कारणों के बारे में वस्तुस्थिति स्पश्ट करते हुए प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित बैंको से इस राशी की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना तथा भविश्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	विवरण	पी. एन. बी नालागढ़	पी. एन. बी नालागढ़	कैनरा बैंक बद्दी	कैनरा बैंक बद्दी	कैनरा बैंक बद्दी	कैनरा बैंक बद्दी
1	खाता संख्या	413100पीआर00006005	2721000पीआर00015037	2436401002463/1	2436401002463/1	243640102525/1	243640102525/1
2	निवेश दिनांक	21.7.15	1.11.15	1.7.15	1.7.16	26.8.15	26.8.16
3	मूलधन	6134607	3638511	4921282	5214000	5468089	5820564
4	ब्याज दर	9%	7.5%	9.05%	7.25%	9.05%	7.25%
5	परिपक्वता दिनांक	21.7.16	1.11.16	1.7.16	1.7.17	26.8.16	26.8.17
6	ब्याज पर आधारित परिपक्वता राशि	6705637	3928297	5344150	5616187	5934288	6254168
7	बैंक द्वारा दी गई परिपक्वता राशि	6427086	3894029	5214000	553485	5820564	6166321
8	कम दी गई राशि	**278551**	**34768**	**130150**	**81334**	**113724**	**87847**
						कुल कम दी गई राशि (रु)	**726374**

12 सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानि

गत अनुच्छेद 4 (ख) में प्रस्तुत परिषद् की दिनांक 31–03–2017 की बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ₹11,17,35,448 की एक बड़ी राशि बचत खातों में ही

रखी गई थी। इस राशि में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेश किया जाता तो इस राशि पर निश्चित रुप से अधिक ब्याज कमाया जा सकता था, परन्तु परिषद् द्वारा इसे केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरुप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

13 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि

नगर परिषद बद्दी के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। अंकेक्षणावधि व इससे पूर्व के तीन वर्शों की **परिशिष्ट–8** में दी गई है–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जमा अंशदान	ब्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	अन्त शेष
वर्तमान अंकेक्षणाधीन दो वर्षों की अवधि की वित्तीय स्थिति						
2015–2016	43,49,872	13,53,459	3,39,848	60,43,179	0	60,43,179
2016–2017	60,43,179	7,30,284	4,37,139	72,10,602	11,04,678	61,05,924

पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि खाते से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी

रोकड़ बही अनुसार शेश 31–03–2017 का शेशः–	61,05,924
जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक खाता संख्या 7242 के अनुसार 31–03–2017 का शेशः–	61,05,924
अन्तर	शून्य

14 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अनुरक्षण न करने बारे

नगर परिषद् बद्दी के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अनुरक्षण नहीं किया गया है। जिस कारण से संस्थापना बिलों में से इस मद में काटी गई राशि तथा सम्बन्धित जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक खाता संख्या 7242 में जमा राशि दिनांक 31–03–2017 को ₹61,05,924 शेश है का पूर्ण सत्यापन व वाउचिंग सम्भव नहीं हो पाई है। इस निधि के कुशल प्रबन्धन हेतु सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। इस बारे में गत अवधि 04/2012 से 03/2015 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्या 7.2 में आपत्ति उठाए जाने के पश्चात भी अभी तक इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। अतः पैन्शन निधि व ग्रैच्युटी निधि की रोकड़ बहियां न लिखने बारे व जमा राशियां को अलग–अलग न रखने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में

पैन्शन निधि व ग्रेच्युटी निधि की अलग–अलग रोकड़ बहियां लिखी जानी व अलग–अलग बैंक खाते रखे जाने सुनिश्चित किए जाएं।

15 पैन्शन व ग्रैच्युटि निधि का सावधि जमा में निवेश न किए जाने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय की हानि

दिनांक 31.03.2017 को पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की ₹61,05,924 बैंक बचत खाते में ही जमा रखी गई है, जबकि उचित वित्तीय प्रबन्धन के दृश्टिगत तात्कालिक आवश्यकता के अतिरिक्त राशि को अल्पकालिक/दीर्घ कालिक सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित था जिससे परिषद को बचत खाते में प्राप्त हो रहे 3 प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर से अधिक आय अर्जित हो सकती थी, लेकिन पैन्शन एंव ग्रेच्युटी निधि की समस्त राशि को बचत खातों में रखने के फलस्वरूप अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना पड़ा है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/–146 दिनांकः 16–08–2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सप्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 नगर परिषद् के कर्मचारियों के सन्दर्भ में चलाए जा रहे/गिरवी करवाए गए सामान्य भविष्य निधि व अंशदायी पैन्शन योजना के खातों में जमा राशि का अभिलेख उपलब्ध न होना

नगर परिशद के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि परिशद कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली सामान्य भविश्य निधि खाता, ग्रैच्यूटि पैन्शन फण्ड, अंशदायी पैन्शन फण्ड इत्यादि से सम्बन्धित कटौतियां बैंक में जमा करवाने के लिए विभिन्न बैंकों में बचत खाते खोले गए हैं जो या तो कार्यकारी अधिकारी के पदनाम से हैं अथवा कर्मचारियों के नाम खुलवा कर कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी रखे गए हैं। इन खातों में जमा राशियों के सन्दर्भ में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं

(क) हिमाचल प्रदेश नगरपलिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर परिशद् कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास भविश्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कटौतियों व आहरण की कार्यपद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया इस मद से सम्बन्धित लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की गई है।

(ख) हिमाचल प्रदेश नगरपलिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में प्रावधित भविश्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी॰ एफ॰ 7 – 1 से पी॰ एफ॰ 12 में बनाए जाने वाले खातों/लैजर का नगर परिशद् द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है।

(ग) उपरोक्त अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, उनके लेखांकन, बैंक में जमा करवाया जाना, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुश्टि व जाँच नहीं की जा सकी है।

अतः अब इस अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पश्ट करते हुए भविश्य हेतु अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 सामान्य भविष्य निधि खातों के व्यक्तिगत लैजर का अनुरक्षण न करने बारे

नगर परिशद् के लेखाओं की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि परिशद् कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली अंशदायी पैन्शन फण्ड, सामान्य भविश्यनिधि खाता इत्यादि से सम्बन्धित कटौतियां बैंक में जमा करवाने के लिए बैंकों में कर्मचारियों के व्यक्तिगत बैंक बचत खाते खोले गए हैं जो कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर पंचायत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास भविश्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कटौतियों व आहरण की कार्यपद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया इस मद से सम्बन्धित लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन नियमों के अनुसार भविश्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी• एफ• 7 – 1 से पी• एफ• 12 में बनाए जाने वाले खातों/लैजर का नगर परिशद् द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, उनके लेखांकन, बैंक में जमा करवाया जाना, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुश्टि व जाँच नहीं की जा सकी है। अतः अब इस अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पश्ट करते हुए भविश्य हेतु अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 श्री राकेश कान्त, कनिष्ठ अभियन्ता के सामान्य भविष्य निधि खाते में पाई गई विसंगतियां

नगर परिषद् बद्दी के कर्मचारियों के सामान्य भविश्य निधि खातों की जांच के दौरान पाया गया कि माह 05/2016 में श्री राकेश कान्त, कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा स्थानान्तरणोपरान्त कार्यग्रहण करने के पश्चात माह 01/2017 तक नौ मास में उनके मासिक वेतन से की गई सामान्य भविश्य निधि अभिदान की कटौती की कुल ₹151117 को प्रत्येक माह निधि खाते में जमा करवाने के स्थान पर वाउचर संख्या 2 द्वारा दिनांक 01/03/2017 को जमा करवाया

गया है। यह स्पश्ट रूप से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 218 की अवहेलना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अभिदान की इस ₹1,51,117 को इलाहाबाद बैंक बद्दी शाखा में बचत खाता संख्या 60377774188 में जमा करवाया गया था परन्तु इस खाते के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें श्री राकेश द्वारा नगर परिशद् के कार्यकाल का अभिदान ही जमा करवाया गया है तथा उनके द्वारा इसके पूर्व अन्य परिशदों के सेवाकाल के दौरान का अभिदान शेश शामिल नहीं है जिसे प्राथमिकता के आधार पर अन्य परिशद्ों में श्री कान्त के सेवाकाल के सामान्य भविश्य निधि अभिदान शेश को अन्तरित करवा कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त विसंगतियों बारे उचित स्पश्टीकरण के अतिरिक्त भविश्य में इस प्रकार की त्रुटि का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि को ₹21.95 लाख के भुगतान का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर परिशद् बद्दी के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही के पृश्ठ 47 पर दिनांक 28.02.2017 को सहायक आयुक्त, कर्मचारी भविश्य निधि संगठन के पक्ष में ₹21,94,654 को भुगतान दर्ज किया गया है, परन्तु यह भुगतान किस सन्दर्भ में, किन कर्मचारियों, किस अवधि के सन्दर्भ में तथा किस दर से किया गया है से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस अभिलेख को प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए इसका सम्पूर्ण विवरण अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 नगर परिषद की देनदारियों के लिए संकलित अभिलेख तैयार न करनाः—

नगर परिशद् के लेखाओं के चयनित माह के व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि माह 12/2015 तथा 03/2017 में क्रमशः ₹90,04,805 तथा ₹1,49,08,501 के निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान किया गया था। इन बिलों में से 2 अथवा 3 प्रतिशत की दर से आयकर, 2 प्रतिशत की दर से बिक्रीकर, 1 प्रतिशत की दर से लेबर सैस तथा माह 03/2017 में आयुक्त, कर्मचारी भविश्य निधि संगठन, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार ई. पी. एफ. की ₹4,59,109 की कटौती की गई है। इसमें से आयकर, बिक्रीकर व लेबर सैस परिशद् द्वारा अलग—अलग समय में मासिक, द्विमासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित विभागों को जमा करवाया जाता है। जबकि ई. पी. एफ. की कटौती मात्र धरोहर के रूप में की जाती

है तथा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा विभाग को जमा का चालान प्रस्तुत करने पर उसे वपिस कर दी जाती है। उपरोक्त सभी देनदारियां/कटौतियां परिशद् के आहरण व वितरण अधिकारी को सरकार द्वारा सौंपा गया वैधानिक दायित्व हैं जिनके लिए परिशद् के पास हमेशा जरूरी निधि का होना आवश्यक है तथा इसके हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखांकन तथा जांच के लिए संकलित अभिलेख भी तैयार किया जाना आवश्यक है। परन्तु इन कटौतियों तथा इनके भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि परिशद् द्वारा इन देनदारियों के लिए किसी प्रकार का संकलित विवरण तैयार नहीं किया गया है। जिस कारण अंकेक्षण के दौरान किसी भी कटौती विशेश की कटौती से लेकर भुगतान तक की सम्पूर्ण जांच सम्भव नहीं हो पाई है। अतः इस महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करने के बारे में उचित स्पश्टीकरण देने के अतिरिक्त इसे प्राथमिकता के आधार पर तैयार करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

21 प्रतिभूति रजिस्टर के अनुरक्षण में त्रुटियों का पाया जाना

नियमानुसार प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण दिनांकवार व क्रमवार निरन्तर किया जाना चाहिए जिसमें ठेकेदार का नाम, किए गए कार्य का विवरण, परिशद् द्वारा रखी गई धरोहर राशि, मापन पुस्तिका क्रमांक व पृश्ठ तथा राशि वपिस किए जाने का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिशद् बद्दी के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की जांच के दौरान प्रतिभूती रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया इसका अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है व इसमें निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण व्यक्तिगत लैजर की तरह अलग अलग ठेकेदारों के लिए अलग–अलग पृश्ठ पर किया गया है। काटी गई धरोहर राशि के साथ सम्बन्धित कार्य का कोई विवरण दर्ज नहीं है। मात्र उस वाउचर का क्रमांक लिखा गया है जिससे यह राशि काटी गई अथवा वापिस की गई है। सम्बन्धित वाउचरों में राशि काटने अथवा वापिस करते समय प्रतिभूती रजिस्टर के पृश्ठ को सन्दर्भित नहीं किया गया है। परिशद् द्वारा रखी गई धरोहर राशियां इसके लिए एक भावी दायित्व हैं तथा इनके लिए परिशद् के पास समयानुसार पर्याप्त निधि का उपलब्ध होना आवश्यक है। उचित वित्तीय प्रबन्धन की दृश्टि से इसके लिए एक अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिए। परन्तु परिशद् द्वारा इन धरोहर राशियों को सामान्य निधि के खाते में ही रखा गया है जिसमें से अन्य व्यय व दायित्व का भुगतान भी किया जाता है।

उपरोक्त त्रुटियों के कारण परिशद् द्वारा अनुरक्षित प्रतिभूती रजिस्टर अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है अतः परामर्श दिया जाता है कि अनुरक्षित किए जा रहे प्रतिभूति रजिस्टर

में उपरोक्त त्रुटियों का निदान प्राथमिकता के आधार पर करते हुए सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

22 नियमानुसार संस्थापना व्यय जांच रजिस्टर (Establishment Check/Pay Register) को तैयार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 11 में नियम 179 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नगर परिषद् के कर्मचारियों को किए गए वेतन व भत्तों के भुगतान का विवरण प्रारूप जी–14 में अनुरक्षित ''संस्थापना व्यय जांच रजिस्टर (Establishment Check/Pay Register) में रखा जाना आवश्यक है। अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन भुगतान की अंकेक्षण जांच पर पाया गया कि नगर परिषद् के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले वेतन भत्तों, बकाया राशि आदि के भुगतान का कोई समेकित ब्यौरा किसी संस्थापना व्यय रजिस्टर में नहीं रखा गया है जिसमें प्रतिमाह प्रविष्टियां की गई हों। यह एक गम्भीर चूक है तथा कार्यकारी अधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि इस रजिस्टर का अनुरक्षण प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार करवाते हुए आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन करवाएं तथा भविष्य में रजिस्टर का रख–रखाव सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

23 श्री खेम चन्द वर्मा, वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण के आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

श्री खेम चन्द वर्मा को परिशद् द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पश्चात कार्यालय आदेश संख्याः एम सी बी/ई एस टी टी/2014/–465–467 दिनांक 10–04–2015 जारी करके कनिश्ठ सहायक के पद से वरिश्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई थी। श्री वर्मा द्वारा दिनांक 10–04–2015 अपराहन् में कार्य ग्रहण करते हुए एफ. आर. 22(1)ए(1) के अन्तर्गत उनकी अगली वार्शिक वेतन वृद्धि की दिनांक 01–07–2015 से वरिश्ठ सहायक के पद पर वेतन निर्धारण का विकल्प चुना गया था तथा तदानुसार उनका वेतन ₹12620+4400 (ग्रेड पे) निर्धारित किया गया। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वेतन निर्धारण श्री खेम चन्द वर्मा की सेवा पंजिका में तो दर्ज कर दिया गया है परन्तु इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित/जारी कार्यालय आदेश अंकेक्षण मेंजांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–147 दिनांकः 18–08–2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 श्री प्रदीप कुमार, लिपिक को टाईपिंग भत्ते के रूप में ₹0.15 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे

श्री प्रदीप कुमार, लिपिक को उनकी नियुक्ति के समय दिनांक 11–01–2001 से ''टंकण भत्ता'' **(Typing Allowance)** ₹75 प्रतिमास की दर से दिया जा रहा है जिसकी कुल भुगतान की गई राशि अक्तूबर 2017 तक ₹15075 बनती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए वर्गवार वेतन संशोधन करते हुए वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन– (पी. आर.) बी(7)– 1/98 दिनांक 01.09.1998 की दूसरी अनुसूची के पैरा **II** के अनुसार "The rate of typewriting allowance to the typist clerks in the scale of Rs.3120-5160 deployed on full time basis shall be Rs.75 per month with effect from the 01-09-1997 and for sanctioning typewriting allowance a certificate to the effect that the concerned clerk was actually deployed on typing work from the Head of Office will be required every month"। अतः इस नियम के अनुसार यह भत्ता केवल टाईपिस्ट के पद पर नियुक्त उन्हीं लिपिकों को दिया जाता है जो कार्यालय में पूर्णकालिक रूप से मात्र टंकण कार्य ही करते हैं और जिनके सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिमास यथोचित प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। परन्तु श्री प्रदीप के प्रकरण में इस प्रकार का कोई अभिलेख नहीं पाया गया। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–165 दिनांकः 03–10–2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जाए अथवा अनुचित किए गए भुगतान की राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 कर्मचारियों के अवकाश खातों के अनुरक्षण के सन्दर्भ में त्रुटियां

नगर परिषद् बद्दी के कर्मचारियों के अर्जित व अर्धवेतन अवकाश खातों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं

(क) सी• सी• एस• (लीव रूल्ज़) 1972 के नियम 16 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार किसी कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत करके इन नियमों के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृति आदेश' (Leave Sanction Order) जारी करना आवश्यक है। परन्तु परिषद् में इस नियम की अनुपालना के स्थान पर मात्र अवकाश सूचना पर ही इसे स्वीकृत कर दिया जाता है।

(ख) उपरोक्त नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी द्वारा अर्जित अथवा अर्धवेतन अवकाश निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदित किया जाना चाहिए परन्तु परिषद् कर्मचारियों द्वारा अवकाश के सन्दर्भ में सामान्य कागज़ पर मात्र सूचना ही प्रस्तुत की जाती है।

(ग) कर्मचारियों द्वारा अर्जित व अर्धवेतन अवकाश पर जाने से पूर्व प्रस्थान सूचना तथा वापिस आने के पश्चात कार्यग्रहण सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है।

उपरोक्त विसंगतियों के कारण नगर परिषद् बद्दी के कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए समस्त अवकाश अनियमित हैं। इस नियम विरूद्ध कार्यप्रणाली को अपनाए जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन समस्त अनियमित अवकाश प्रकरणों को नियमानुसार उचित कार्यालय आदेश द्वारा नियमित किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 श्रीमति योगिता बाली, लिपिका की सेवा पंजिका में अर्जित तथा अर्धवेतन अवकाश की प्रविष्टियों से सम्बन्धित त्रुटियां

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमति योगिता बाली, लिपिका की सेवापंजिका में अवकाश खाते निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार चार दिन का अर्जित अवकाश व एक दिन का अर्धवेतन अवकाश अधिक दर्ज किया गया था जिसे अंकेक्षण द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात सुधार लिया गया है।

क्र॰	त्रुटि का विवरण	अपेक्षित अनुपालना
1	श्रीमति बाली द्वारा अवधि 19–10–2005 से 23–10–2005 के दौरान पांच दिनों के लिए मॉरीशस की विदेश यात्रा हेतु निदेशक शहरी विकास, हि. प्र. के कार्यालय पत्र संख्या यू डी–एच(ए)(1)–1/2000–11155 दिनांक 03–09–2005 द्वारा अनुमति ली गई है। परन्तु इस विदेश यात्रा अवधि तथा इसके पहले व बाद के यात्रा दिवसों के लिए नियमानुसार न तो अर्जित अवकाश आवेदित किया गया है और न ही इसे अवकाश खाते में दर्ज किया गया है।	5 दिन के विदेश प्रवास के अतिरिक्त पहले तथा बाद के यात्रा दिवसों के लिए अर्जित अवकाश खाते में दर्ज किया जाए।
2	कर्मचारी द्वारा दिनांक 17–08–2010 से 18–08–2010 तक का आवेदित, स्वीकृत व व्यतीत परिणित अवकाश अर्धवेतन अवकाश खाते में दर्ज नहीं किया गया है।	इस दो दिन के परिणित अवकाश को अब नियमानुसार दर्ज किया जाए।
3	कर्मचारी द्वारा दिनांक 26–12–2011 से 29–12–2011 तक का आवेदित, स्वीकृत व व्यतीत अर्जित अवकाश खाते में दर्ज नहीं किया गया है।	इस चार दिन के अर्जित अवकाश को अब नियमानुसार दर्ज किया जाए।

27 **श्री प्रदीप कुमार, लिपिक की सेवा पंजिका में अर्जित तथा अर्धवेतन अवकाश की प्रविष्टियों से सम्बन्धित त्रुटियां**

श्री प्रदीप कुमार, लिपिक की सेवापंजिका तथा निजि नस्ति की जांच के दौरान पाया गया कि उनके द्वारा दिनांक 06–03–2017 से लेकर 10–03–2017 तक के लिए पांच दिन का बीमारी के आधार पर अवकाश आवेदित/सूचित किया था जिसके साथ मैडिकल टैस्ट रिपोर्टें भी संलग्न थीं। इस अवकाश के सन्दर्भ में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं

(क) इस अवकाश को सेवापंजिका में अवकाश खाते में दर्ज नहीं किया गया था।

(ख) प्रार्थनापत्र में अवकाश की प्रकार का कोई विवरण नहीं था।

(ग) इस अवकाश को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदित नहीं किया गया है।

28 **श्री राकेश कांत शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के अवकाश खाते के बारे में**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राकेश कांत, कनिष्ठ अभियन्ता के अवकाश खाते का दिनांक 31–12–2014 के बाद अद्ययतन नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इस सन्दर्भ में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

29 **श्री जयदेव, सेवादार की सेवा पंजिका में अर्जित तथा अर्धवेतन अवकाश की प्रविष्टियों से सम्बन्धित त्रुटियां**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जयदेव, सेवादार की सेवापंजी में अवकाश खाते निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार चार दिन का अर्जित अवकाश व एक दिन का अर्धवेतन अवकाश अधिक जमा किया गया था जिसे अंकेक्षण द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात सुधार लिया गया है।

क्र॰	त्रुटि का विवरण	अधिक जमा अवकाश
1	अवधि 01–01–2016 से 30–06–2016 के अवकाश का शेष निकालते समय दो दिन अधिक दर्शाए/जोड़े गए हैं।	2 दिन (अर्जित)
2	कर्मचारी के दैनिक वेतन भोगी से सेवा में नियमतीकरण के पश्चात अवधि 10–12–2009 से 31–12–2009 के लिए नियमों के विरूद्ध कैलेण्डर मास पूरा न होने पर भी दो दिन का अर्जित अवकाश खाते में जमा किया गया है।	2 दिन (अर्जित)
3	कर्मचारी के दैनिक वेतन भोगी से सेवा में नियमतीकरण के पश्चात अवधि 10–12–2009 से 31–12–2009 के लिए नियमों के विरूद्ध कैलेण्डर मास पूरा न होने पर भी एक दिन का अर्धवेतन अवकाश खाते में जमा किया गया है।	1 दिन (अर्धवेतन)

30 गृहकर अधिसूचित न किए जाने बारेः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः ULB-H(C)(9)2/91-II, दिनांक 20.4.1998, ULB-H(C)(9)-1, दिनांक 6.11.1999 तथा UDH(C)(10)-10/97, दिनांक 4.12.1999 में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत परिषद अधिसूचित क्षेत्र में गृहकर अधिसूचित नहीं किया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस बारे आवश्यक कार्यवाही करने बारे सुझाव दिया गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः पूर्ण प्रकरण नगर परिषद प्रशासन के उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि भविष्य में इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर गृहकर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 परिषद् द्वारा करोड़ों रूपये पार्किंग निर्माण पर खर्च करके उन्हें किराए पर न देना

नगर परिशद् बद्दी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/–152 दिनांकः 01–09–2017 के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई गई परिशद् परिसम्पतियों की सूची जो कि **परिशिश्ट "9"** पर संलग्न है के क्रमांक 20 से 27 पर दर्ज 8 कार पार्किंग स्थलों को अपनी परिसम्पत्तियों में दर्शाया है जिनमें 295 कारें खड़ी रखने का प्रावधान है। इन पार्किंगों के निर्माण पर परिशद् द्वारा करोड़ों रूपये खर्च किए हैं परन्तु इन्हें अंकेक्षण समाप्ति तक किराए पर नहीं दिया गया था जिस कारण से परिशद् को लाखों रूपये का सम्भावित वार्शिक आय से वन्चित होना पड़ रहा है। अतः इन पार्किंगों को किराए पर न दिए जाने बारे उचित स्पश्टीकरण के अतिरिक्त इन्हें प्राथमिकता के आधार पर किराए पर दिया जाना सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

32 परिषद् द्वारा बस अड्डे व खेल मैदानों को किराए पर न देना

नगर परिशद् बद्दी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/–152 दिनांकः 01–09–2017 के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई गई परिशद् परिसम्पतियों की सूची जो कि **परिशिश्ट "9"** पर संलग्न है के क्रमांक 31 व 32 पर दर्ज खेल मैदानों व बस अड्डे को अपनी परिसम्पत्तियों में दर्शाया है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न तो इन मैदानों को विभिन्न समाजिक तथा अन्य क्रीड़ा गतिविधियों के बदले किराए पर दिया जाता है और न ही बस अड्डे पर प्रतिदिन सैंकड़ों बसों की आवाजाही होने के बावजूद उनसे पार्किंग फीस वसूल की जाती है और न ही वहां पर निर्मित खोखों/रेहड़ियों आदि से किराया/तहबाजारी वसूल की जाती है। इस कारण से परिशद् को लाखों रूपये की सम्भावित वार्शिक आय से वन्चित होना पड़ रहा है। अतः इन सम्पत्तियों को

किराए पर न दिए जाने बारे उचित स्पशटीकरण के अतिरिक्त इन्हें प्राथमिकता के आधार पर किराए पर दिया जाना सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

33 परिषद् की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा

नगर परिशद् बद्दी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/–152 दिनांकः 01–09–2017 के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई गई परिशद् परिसम्पतियों की सूची जो कि **परिशिश्ट ''9''** पर संलग्न है के क्रमांक 17 व 18 पर दर्ज दो सराय को दर्शाया गया है। इन सराय के सन्दर्भ में टिप्पणी करके परिशद् द्वारा स्वयँ स्वीकार किया गया है कि इन भवनों से प्राप्त होने वाला किराया बद्दी के किसी स्थानीय वासी द्वारा वसूल किया जाता है जिससे स्पश्ट है कि इन सम्पत्तियों पर किन्हीं स्थानीय वासियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है जो कि परिशद् की जानकारी में है। इस अवैध कब्जे को छुड़ाने हेतु परिशद् द्वारा अभी तक कोई प्रयत्न किया गया हो ऐसा कोई अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा इस पर अभी तक परिशद् द्वारा इन सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयत्न न करना परिशद् की कार्यप्रणाली को भी संदेह के दायरे में खड़ा कर देता है। अतः इस गम्भीर लापरवाही भरे रवैये के बारे में उचित स्पशटीकरण के अतिरिक्त सर्वोत्तम प्राथमिकता के आधार इस अवैध कब्जे को छुड़ाने हेतु प्रयास आरम्भ किए जाएं तथा आवश्यकता होने पर नियमानुसार कानूनी/पुलिस सहायता भी ली जाए। इस सन्दर्भ में की गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

34 नियमों की अवहेलना करके ₹4.27 लाख के गबन अथवा परिषद् की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे का प्रयत्न

नगर परिशद् के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की अंकेक्षण जांच के दौरान मापन पुस्तिका क्रमांक 38 के पृश्ठ 58 से 67 के अवलोकन पर पाया गया कि इन पृश्ठों पर ''नगर परिशद् कार्यालय परिसर में गैरेज व कमरे के निर्माण'' से सम्बन्धित मापन प्रविश्टियां व लागत सार दर्ज करके ₹4,26,985 का आहरण करने का प्रयत्न किया गया है जिसे परिशद् द्वारा दिनांक 16.09.2016 को अपनी साधारण बैठक में प्रस्ताव संख्या 53 **(परिशिश्ट ''10'')** द्वारा रद्द किया गया है। इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैः–

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिशद् बद्दी द्वारा अपने कार्यालय पत्र क्रमांकः एमसी बद्दी/स्था./2014–738–739 दिनांक 09.09.2016 द्वारा परिशद् के वर्तमान कनिश्ठ अभियन्ता श्री राकेश कान्त शर्मा व वरिश्ठ सहायक/लेखाकार श्री खेमचन्द वर्मा से उपरोक्त निर्माण

कार्य से सम्बन्धित धरोहर राशि, टैंडर फार्म, कार्य आबंटन पत्र आदि समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार के किसी भी अभिलेख के बारे में अनभिज्ञता जताई गई है। अभिलेख उपलब्ध न होने पर उपरोक्त निर्माण कार्य के समय के प्रभारी कनिश्ठ अभियन्ता श्री शरीफ मोहम्मद से भी उक्त अभिलेख को प्रस्तुत करने व इस निर्माण के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पश्ट करने को कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के दो पत्रों क्रमांकः एमसी बद्दी/स्था./2014–907–908 दिनांक 04.10.2016 तथा एमसी बद्दी/स्था./2014–1103–1107 दिनांक 04.11.2016 द्वारा कहा गया था। तदोपरान्त नगर परिशद् बद्दी द्वारा दिनांक 16.09.2016 को अपनी साधारण बैठक में प्रस्ताव संख्या 53 द्वारा रद्द किया गया है तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्र क्रमांकः एमसी बद्दी/स्था./2014–2051 दिनांक 04.03.2017 द्वारा कनिश्ठ अभियन्ता से इस कार्य की प्रविश्टियों को परिशद् द्वारा लिए गए निर्णय के दृश्टिगत मापन पुस्तिका 38 के पृश्ठ 58 से 67 पर से निरस्त करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

उपरोक्त तथ्यों तथा परिशद् की नस्ति में उपलब्ध अभिलेख से स्पश्ट है कि यह एक अति गम्भीर प्रकरण है तथा परिशद् में ही कार्यरत अथवा इससे सम्बन्धित जिम्मेदार पदों पर विराजमान व्यक्तियों द्वारा अनुचित रूप से ₹4,26,985 को आहरित करने का प्रयत्न किया गया अथवा परिशद् की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने का प्रयत्न किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पश्ट करने हेतु कार्याकारी अधिकारी, नगर परिशद् बद्दी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–160 दिनांकः 19–09–2017 द्वारा कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस गम्भीर प्रकरण की उच्च स्तरीय विभागीय जांच करवाकर दोशियों के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक व कानूनी कार्यवाही करके अनुपालना सें अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 बिजली शुल्क की ₹52.27 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0डी0(1)–9/94, दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.10.2000 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–94 दिनांकः 05/06/2017 से इस सन्दर्भ में मांगी गई सूचना के उत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान कुल ₹52,26,709 जिसका विवरण **परिशिष्ट "11"** में दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से वसूली हेतु दिनांक 31.03.2017 को शेष थी। इस सूचना में प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यापन हेतु नगर परिषद् द्वारा मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है

जिसके अभाव में इनका सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः वांछित अभिलेख/आंकडे सम्बन्धित विभाग से एकत्रित करके आगामी आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किए जाएं। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु इस बारे इतने समय बाद भी आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह प्रकरण बिजली बोर्ड के प्रशासन से उठाया जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित राशि वसूल करके पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

36 राज्य दवा नियन्त्रक कार्यालय से किराया ₹10.60 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद् बद्दी द्वारा कार्यालय भवन के भूतल के एक भाग में से 158.88 वर्गमीटर क्षेत्रफल का हिस्सा ''राज्य दवा नियन्त्रक'' को कार्यालय चलाने हेतु दिनांक 10.05.2008 से 08.06.2016 तक की अवधि के लिए किराए पर दिया गया था। इस भवन को दिनांक 10.05. 2008 को किराए पर दिए जाने के पश्चात परिशद् द्वारा कार्यालय पत्र क्रमांक NP/Baddi/Rent/2009-190-91 dated 31.03.2009 द्वारा राज्य दवा नियन्त्रक कार्यालय को ₹193.66 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹30769 प्रतिमाह किराए का बिल भेजा गया था। निदेशक, स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश व राज्य दवा नियन्त्रक से परिशद् द्वारा अपने दिनांक 08.06.2009 व बाद में कई बार किए गए पत्राचार में दावा किया गया था कि किराए की इस दर की गणना राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति पर की गई है, परन्तु निदेशक, स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किराए का भुगतान न करने तथा बार बार आग्रह किए जाने के दृश्टिगत परिशद् द्वारा अधिशाशी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग नालागढ़ से ''रैंट रीज़नेबिल्टि प्रमाणपत्र'' लिया गया जो कि उन्होंने अपने कार्यालय पत्र क्रमांक PW-NLD-WA/2009-10-10206-07 dated 14.12.2011 द्वारा ₹10200 प्रतिमास की दर से किराए के लिए जारी किया गया था। यह किराया परिशद् द्वारा मांगे गए किराए से ₹20569 कम था। इसी दौरान दिनांक 31.03.2012 तक परिशद् द्वारा कार्यालय के प्रथम तल पर भी ''हिमाचल प्रदेश प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड'' को कार्यालय हेतु एक भाग किराए पर दिया गया था जिसके लिए किराए की गणना ₹125.54 प्रति वर्गमीटर की दर से अधिशाशी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास कॉर्पोरेशन (HPSIDC) से करवाई गई थी तथा इसी दर से वसूली भी की गई है।

नगर परिशद् बद्दी द्वारा निर्णय लिया गया कि अधिशाशी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग नालागढ़ द्वारा जारी ₹10200 प्रतिमास के ''रैंट रीज़नेबिल्टि प्रमाणपत्र'' के आधार पर परिशद् ''राज्य दवा नियन्त्रक'' को भवन किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है तथा किराए की दर अधिक से अधिक ''हिमाचल प्रदेश प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड'' से वसूल की जा रही दर ₹125.54 प्रति वर्गमीटर तक घटाई जा सकती है जिसकी सूचना पत्र क्रमांक

MC/Baddi/Rent/Drug/2012-864-65 dated 08-08-2012 द्वारा राज्य दवा नियन्त्रक कार्यालय को दी गई थी व इसी पत्र से यह नोटिस भी जारी किया गया था कि ₹125.54 प्रति वर्गमीटर की दर मंजूर न होने की स्थिति में भवन दो माह के भीतर खाली कर दिया जाए व ''राज्य दवा नियन्त्रक'' द्वारा यह भवन दिनांक 08.06.2016 को खाली किया गया है जिसकी सूचना पत्र क्रमांक HFW-H(Drugs)(Building) 114 dated 08-06-2016 द्वारा दी गई थी। राज्य दवा नियन्त्रक'' कार्यालय द्वारा किराए का भुगतान दिनांक 10.05.2008 से 30.06. 2015 तक की अवधि के लिए ₹10200 प्रतिमास की दर से ही किया गया है जिसकी कुल ₹874239 दिनांक 14.07.2015 को ऑनलाइन परिशद् के आई सी आई सी आई बैंक खाता संख्या 049901000353 में प्राप्त हुई है।

''राज्य दवा नियन्त्रक'' कार्यालय द्वारा परिशद् के पत्र क्रमांक MC/Baddi/Rent/Drug/2012-864-65 dated 08-08-2012 द्वारा जारी दो माह के नोटिस के बावजूद भी भवन खाली नहीं किया था अतः इसी पत्र में किराए की घटाई गई दर ₹125.54 प्रति वर्गमीटर प्रभावी हो जाती है तथा अवधि 10.05.2008 से 30.06.2015 तक परिशद् द्वारा इसी आधार पर ₹19946 प्रतिमास की दर से कुल ₹17,09,565 के किराए की वसूली की जानी अपेक्षित थी। परन्तु इस अवधि के लिए किराए की प्राप्ति ₹10200 प्रतिमास की दर से कुल ₹8,74,239 ही हुई है। इस प्रकार कुल ₹8,35,326 की कम वसूली हुई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.07.2015 से भवन को खाली किए जाने की दिनांक 08.06.2016 तक के किराए की भी ₹19946 प्रतिमास की दर ₹2,24,725 की वसूली की जानी अपेक्षित है जिसमें से अभी तक कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है। इस प्रकार ''राज्य दवा नियन्त्रक'' कार्यालय से किराए के रूप में कुल ₹10,60,051 वसूल किए जाने शेश हैं। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पश्ट करने हेतु कार्याकारी अधिकारी, नगर परिशद् बद्दी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–148 दिनांकः 21–08–2017 द्वारा कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। परिशद् द्वारा इस राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 राज्य दवा नियन्त्रक कार्यालय द्वारा उपयोग की गई बिजली के लाखों रूपये की राशि की वसूली का न करना

नगर परिषद् बद्दी द्वारा कार्यालय भवन के भूतल के एक भाग में से 158.88 वर्गमीटर क्षेत्रफल का हिस्सा ''राज्य दवा नियन्त्रक'' को कार्यालय चलाने हेतु दिनांक 10.05.2008 से 08.06.2016 तक की अवधि के लिए किराए पर दिया गया था। इस सन्दर्भ में दोनों कार्यालयों

के बीच हुए पत्राचार की नस्ति की जांच में अवलोकन पर पाया गया कि इस सत्तानवे (97) माह की अवधि के दौरान राज्य दवा नियन्त्रक कार्यालय द्वारा कभी भी अपने लिए बिजली का अलग मीटर नहीं लिया गया था तथा परिशद् कार्यालय के मीटर से ही बिजली उपयोग की गई है। परिशद् कार्यालय पत्र क्रमांक NP/Baddi/Rent/2008-498-493 dated 03-10-2008 द्वारा ही राज्य दवा नियन्त्रक को अलग मीटर लगवाने हेतु कहे जाने के बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई तथा 97 माह की सम्पूर्ण अवधि के लिए रौशनी के लिए बल्ब, हवा के लिए पंखे, ठंडक के लिए वातानुकूलन यन्त्र (Air Conditioners), हीटर तथा फोटोस्टेट व अन्य उपकरण आदि चलाने के लिए परिशद् कार्यालय के मीटर से ही बिजली का उपयोग किया गया है। इस प्रकार इस कार्यालय के कारण परिशद् का लाखों रूपये का नुकसान हुआ है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पश्ट करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिशद् बद्दी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–148 दिनांकः 21–08–2017 द्वारा कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब प्राथमिकता के आधार पर ''राज्य दवा नियन्त्रक'' के कार्यालय में 97 माह में उपयोग की गई बिजली की औसत खपत की गणना करके सम्पूर्ण राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए और यदि आवश्यकता हो तो इस गणना में राज्य बिजली बोर्ड के विशेशज्ञ की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। किसी प्रकार की समस्या की स्थिति में इस राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

38 दुकानों को किरायेदारो द्वारा खाली/छोड़ने पर किराये की बकाया ₹3.12 लाख की वसूली न करने बारे

नगर परिशद बददी के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण के दौरान किराये रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार परिशद की दुकानों को किरायेदारों द्वारा खाली किया गया था लेकिन किराये की बकाया ₹312680 की बसूली नही की गई थी अतः उक्त राशि की वसूली हेतू परिशद द्वारा कार्रवाई न करने का औचित्य स्पश्ट किया जाए तथा किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये तदानुसार अनुपालना से अकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये

क्र0सं0	दुकान संख्या	दुकानदार	मासिक किराया	खाली करने की तिथि	31.3.2017 तक कुल बकाया
1	14	सलीम मुहम्मद	4200	25.9.2014	161200
2	20	अनुराधा शर्मा	3080	31.5.2015	151480
				योग	₹312680

39 दुकान किराए पर न देने के कारण सम्भावित किराए की परिषद् हो रही निरन्तर हानि

नगर परिशद् बद्दी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–152 दिनांकः 01–09–2017 के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई गई परिशद् परिसम्पतियों की सूची जो कि **परिशिश्ट ''9''** पर संलग्न है के क्रमांक 5 पर दर्ज दुकान किराए पर न देने के कारण परिशद् को सम्भावित किराए के रूप में निरन्तर नुक्सान हो रहा है। अतः इस बारे में उचित स्पश्टीकरण देने के अतिरिक्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 परिषद् के रेहन बसेरा की मुरम्मत के अभाव में किराए पर न देने से हो रही निरन्तर हानि

नगर परिशद् बद्दी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–152 दिनांकः 01–09–2017 के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई गई परिशद् परिसम्पतियों की सूची जो कि **परिशिश्ट ''9''** पर संलग्न है के क्रमांक 13 पर दर्ज रेहन बसेरा के बारे में टिप्पणी की गई है कि इसे मुरम्मत की आवश्यकता है जिस कारण इसे किराए पर नहीं दिया जा सकता है। परिशद् के आय व्यय की विवरणी के अवलोकन से स्पश्ट है कि अंकेक्षणावधि के दो वर्शों के दौरान निर्माण कार्यों पर ₹9,38,23,760 व्यय किया गया है जिसमें से ₹3,13,03,549 का व्यय स्वयँ संसाधनों से किया गया है। इससे स्पश्ट है कि मुरम्मत के इस छोटे से कार्य के लिए परिशद् के पास संसाधनों की कमी नहीं है जिस कारण इस रेहन बसेरा की मुरम्मत न करवाया जाना सर्वथा अनुचित है। अतः इस मुरम्मत को न करवाए जाने बारे उचित स्पश्टीकरण के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करके अपेक्षित कार्यवाही करके इसे शीघ्र किराए पर चढ़ाया जाना आरम्भ करके परिशद् के स्वयँ संसाधनों को सुदृढ़ किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 योग में गलत गणना के कारण तहबजारी शुल्क ₹2880 को कम जमा करने बारे

नगर परिशद बददी के अकेंक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान तहबाजारी की रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार परिशद द्वारा तहबाजारी की प्राप्त राशि की गलत गणना के कारण ₹2880 का रोकड बही मे इन्द्राज नही किया गया और न ही इस राशि को परिशद कोश मे जमा करवाया गया। अतः तहबाजारी की ₹2880 को चूक कर्ता से वसूल करके परिशद कोश मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित करे तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	नाम	रसीद क्रमांक	प्राप्त राशि	दर्ज राशि	कम दर्ज राशि
1	15.6.2015	गुरमीत	1/4	150	30	120
2	24.6.2015	जोगिन्दर	10/90	60	30	30
3	24.6.2015	घनश्याम	10/93	60	30	30
4	24.6.2015	मनोज	10/94	60	30	30
5	24.6.2015	राहुल	10/95	60	30	30
6	24.6.2015	मोरवती	10/96	60	30	30
7	24.6.2015	राम	10/97	60	30	30
8	24.6.2015	पाल	10/99	60	30	30
9	24.6.2015	भगवान	10/100	60	30	30
10	24.6.2015	जबार सिंह	10/101	60	30	30
11	24.6.2015	संजय	10/102	60	30	30
12	24.6.2015	गुड्डू	10/103	60	30	30
13	24.6.2015	पप्पू	10/104	60	30	30
14	24.6.2015	कृश्णा	10/105	60	30	30
15	24.6.2015	सुरेश	10/106	60	30	30
16	24.6.2015	पप्पू	10/107	60	30	30
17	24.6.2015	साहिल	10/108	60	30	30
18	24.6.2015	महाकांत	10/109	60	30	30
19	24.6.2015	नंद किशोर	10/110	60	30	30
20	24.6.2015	प्रेम चंद	10/111	60	30	30
21	24.6.2015	सेवा राम	10/112	60	30	30
22	24.6.2015	पप्पू	10/113	60	30	30
23	24.6.2015	ओम प्रकाश	10/114	60	30	30
24	24.6.2015	ज्ञानमति	10/115	60	30	30
25	24.6.2015	किरन	10/116	60	30	30
26	24.6.2015	अनिल	10/117	60	30	30
27	24.6.2015	सुरेन्द्र	10/118	60	30	30
28	24.6.2015	त्रिलोचन	10/119	60	30	30
29	24.6.2015	राज कुमार	10/120	60	30	30
30	24.6.2015	अरिवन्द	10/129	60	30	30
31	24.6.2015	बिटटू	10/137	60	30	30
32	24.6.2015	विरेन्द्र	10/138	60	30	30
33	24.6.2015	प्रीतम	10/142	60	30	30
34	24.6.2015	रीना	10/143	60	30	30
35	28.6.2015	रवि	08/189	60	30	30
36	28.6.2015	शेशराम	13/39	60	30	30
37	28.6.2015	रवि	13/123	60	30	30
38	28.6.2015	श्री राम	13/167	60	30	30
39	30.6.2015	केवल	15/68	60	30	30
40	30.6.2015	अमित	15/72	60	30	30
41	30.6.2015	अयुश	14/105	210	30	180
42	20.7.2015	राजू	24/59	90	30	60
43	20.7.2015	रजनीश	24/63	60	30	30

44	20.7.2015	पिकेश	24/70	60	30	30
45	20.7.2015	संजय	24/76	60	30	30
46	20.7.2015	रविन्द्र	24/77	60	30	30
47	20.7.2015	जय वीर	24/79	60	30	30
48	20.7.2015	भैरों	24/81	60	30	30
49	20.7.2015	हरिकेश	24/82	60	30	30
50	20.7.2015	प्रकाश	24/84	60	30	30
51	20.7.2015	धन कांत	24/86	60	30	30
52	28.7.2015	शिन्टू	25/199	60	30	30
53	28.7.2015	घन श्याम	26/80	60	30	30
54	28.7.2015	राम चन्द्र	26/81	60	30	30
55	28.7.2015	दुवेश	30/51	60	30	30
56	28.7.2015	दिवेश	30/52	60	30	30
57	28.7.2015	अजय	30/53	60	30	30
58	28.7.2015	मुकेश	30/54	60	30	30
59	28.7.2015	चमकीला	30/55	60	30	30
60	28.7.2015	चमकीला	30/56	60	30	30
61	28.7.2015	मुकेश	30/57	60	30	30
62	28.7.2015	भैरों	30/58	60	30	30
63	28.7.2015	शान्ति	30/59	60	30	30
64	28.7.2015	हरिकेश	30/60	60	30	30
65	28.7.2015	राज	30/61	60	30	30
66	28.7.2015	राज	30/62	60	30	30
67	28.7.2015	कुलवन्त	30/63	60	30	30
68	28.7.2015	संजय	30/64	60	30	30
69	28.7.2015	रविन्द्र	30/65	60	30	30
70	28.7.2015	संतोश	30/66	60	30	30
71	28.7.2015	बसन्त	30/67	60	30	30
72	28.7.2015	धर्मेन्द्र	30/69	60	30	30
73	28.7.2015	महेश	30/96	60	30	30
74	3.8.2015	संजय	32/49	60	30	30
75	18.8.2015	सोला राम	38/199	60	30	30
76	19.9.2015 से 24.9. 2015	....	001से200/40 व001 से 200/41	13290	12930	360
					कुल योग	**₹2880**

42 दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर ₹2.12 लाख के सेवाकर की वसूली करके सम्बन्धित विभाग को भुगतान न करने बारे

केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग के सेवाकर अधिनियम के अनुसार व्यावसायिक सम्पतियों से प्राप्त किराये पर मालिक द्वारा किराएदार से सेवाकर की वसूली करके उसे विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन नगर परिशद द्वारा वर्श 2015–16 व 2016–17 के दौरान किराए पर दी गई दुकानों से प्राप्त किराये पर निम्न विवरणानुसार प्राप्य सेवाकर की ₹212467 की वसूली सम्बन्धित किराएदारों से नहीं की गई है और न ही इसे

सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया है। जिसके कारण केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग कभी भी परिशद् को इस राशि को दण्डशुल्क राशि सहित जमा करवाने हेतु नोटिस जारी कर सकता है जो कि परिशद् की निधि पर अनावश्यक व्यय बोझ होगा। अतः इस चूक के बारे में उचित स्पश्टीकरण के अतिरिक्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

माह /वर्श	किराये से प्राप्त राशि	सेवा कर दर %	सेवा कर की भुगतान योग्य राशि
4/2015	21000	12.36	2596
5/2015	25400	12.36	3139
6/2015	31000	14	4340
7/2015	21000	14	2940
8/2015	21000	14	2940
9/2015	25280	14	3539
10/2015	197780	14	27689
11/2015	8920	14.5	1293
12/2015	397840	14.5	57687
1/2016	6160	14.5	893
2/2016	48280	14.5	7001
3/2016	18480	14.5	2680
4/2016	22640	14.5	3283
5/2016	15280	14.5	2216
6/2016	26020	15	3903
7/2016	34130	15	5120
8/2016	30800	15	4620
9/2016	75460	15	11319
10/2016	12580	15	1887
11/2016	188750	15	28313
12/2016	91240	15	13686
1/2017	13160	15	1974
2/2017	56080	15	8412
3/2017	73310	15	10997
		कुल योग	**₹212467**

43 मोबाईल टावरों के स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण वसूली न किए जाने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार की पत्र संख्या DIT-DEV-IT-2005, दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क की ₹10,000 प्रति टावर तथा वार्षिक शुल्क ₹5,000

प्रति टावर वसूल करना आपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 व 2016–17 में इस मद में क्रमशः मात्र ₹60000 व ₹45000 की वसूली ही की गई है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–138 दिनांकः 03/08/2017 द्वारा नगर परिषद को परिषद क्षेत्र में लगाये गए (स्थापित) टावरों की सूचि व प्राप्त की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने व दो वर्शों में मात्र ₹105000 प्राप्त होने के कारण प्रतीत होता है कि परिशद् इस मद से प्राप्त होने वाली आय को लेकर गम्भीर नहीं है। अतः वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने के पश्चात सम्पूर्ण प्राप्य राशियों की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किए जाए।

44 ₹67.57 लाख के प्राप्य रख–रखाव प्रभार का वसूली हेतु शेष पाया जाना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–94 दिनांकः 05.06.2017 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार हाऊसिंग बोर्ड फेस–I तथा II के निवासियों से दिनांक 31.3.2017 को ₹67,56,997 (फेस–1 ₹42,25,236 + फेस–2 ₹25,31,761) का प्राप्य रख–रखाव प्रभार (Maintenance Charges) वसूली हेतु शेष पाया गया है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"12–क व 12–ख"** में दिया गया है। अतः शेष राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ रख–रखाव प्रभार की उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

45 दुकानों के किराये की ₹14.01 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–94 दिनांकः 05.06.2017 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दुकानों के किराये के रूप में दिनांक 31.3.2017 तक ₹14,01,470 वसूल की जानी शेष थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"13"** में दिया गया है। नगर परिषद द्वारा किराये पर दी गई दुकानों की मासिक किराये व बकाया शेष राशि को नियमित रूप में वसूल करने हेतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। अतः बकाया राशि की समयबद्व वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं किरायेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही

अमल में लाई जाए। यह किराये की बकाया राशि नियमानुसार वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टालों से किराये की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए।

46 स्टाफ अग्रिम की ₹1.14 लाख का समायोजन न करना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 94 दिनांकः 05.0. 2017 के सन्दर्भ में **परिशिश्ट ''14''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद के विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों हेतु निम्नविवरणानुसार ₹1,14,046 का अग्रिम प्रदान किया गया था, जिसका समायोजन अंकेक्षण समाप्त होने तक नहीं किया गया था। अग्रिम राशियों का समायोजन न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन राशियों का समायोजन सुनिश्चित किया जाए।

47 प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय की ₹2.07 लाख प्रतिभूति हेतु शेष

नगर परिषद् बद्दी के लेखाओं की जांच में पाया गया कि माह 11/2015 में ''प्रधानमन्त्री आवास योजना'' के अन्तर्गत ₹2,07,510 का व्यय निदेशक, शहरी विकास, हि. प्र. के कार्यालय पत्र क्रमांकः यू. डी.–एच(एफ)(2)–9/15– 13212–214 दिनांक 01–10–2015 के सन्दर्भ में दिनांक 12 व 13 अक्तूबर 2015 के दौरान बद्दी में वर्कशॉप का आयोजन करने पर व्यय किया गया है। इस व्यय की रोकड़ बही में प्रविश्टि दिनांक 09–11–2015 तथा 20–11–2015 क्रमशः वाउचर संख्या 36 व 45 द्वारा दर्ज की गई है। उक्त पत्र के अनुसार इस व्यय की प्रतिपूर्ती/वहन शहरी विकास विभाग द्वारा की जानी थी। परन्तु वर्तमान अंकेक्षण किए जाने तक इस राशि की वसूली/प्रतिपूर्ती नहीं की गई है जिसके बारे में उचित स्पश्टीकरण के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर वसूली सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

48 निक्षेप कार्य (Deposit Work) की ₹14.50 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र बारे

कार्यकारी अधिकारी द्वारा **परिशिश्ट ''15''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिशद् द्वारा ₹14,50,00,000 अधिशासी अभियन्ता, हि. प्र. सिंचाई एवं जल स्वास्थय विभाग मण्डल, नालागढ़ को निक्षेप कार्य के आधार पर सीवरेज निर्माण हेतु दिनांक 02.05.2016 को अन्तरित किए गए हैं। अंकेक्षण समाप्ति तक इस कार्य का पूर्णता प्रमाणपत्र तथा राशि के सन्दर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस उपयोगिता प्रमाणपत्र को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

49 सफाई व्यवस्था के बिलों तथा मजदूरों की हाजिरियों को सत्यापन न किया जाना

नगर परिशद् के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं की जांच में पाया गया कि परिशद् के पत्र संख्या MC/Baddi/works-2015-1945 and 1946 dated 20-10-2015 द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु 100 मजदूर ₹6950 प्रतिमास प्रति मजदूर की दर (कुल मासिक भुगतान ₹6,95,000) से उपलब्ध करवाने का ठेका मै. टारगेट ग्रीन प्लैनेट को दिनांक 20.11.2015 से एक वर्श की अवधि हेतु दिया गया है। इस भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा को परिशद् के कनिश्ठ अभियन्ता अथवा किसी अन्य प्रधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य प्रमात्रा को सत्यापित न किए जाने के कारण से इन बिलों की सत्यता संदिग्ध हो जाती है। अतः निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविश्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

50 बिल की छायाप्रति पर ₹0.54 लाख का संदिग्ध एवं अनुचित भुगतान

वाउचर संख्या 18 द्वारा दिनांक 17.12.2015 को परिशद् द्वारा ₹54,250 का भुगतान मै• कुमार इलैक्ट्रॉनिक्स कं., ऊना, हिमाचल प्रदेश के पक्ष में चैक संख्या 410531 से (आर टी जी एस) किया गया है। यह भुगतान बिजली के सामान व स्ट्रीट लाइट से सम्बन्धित सामान की आपूर्ती के लिए किया गया है। इस भुगतान से सम्बन्धित वाउचर की जांच में पाया गया इसमें आपूर्तीकर्ता के मूल बिल के स्थान पर भुगतान बिल संख्या 583 दिनांक 23.08.2015 की छायाप्रति पर किया गया है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार छायाप्रति पर किया गया भुगतान मान्य नहीं है तथा मूल बिल के अभाव में संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की विभागीय जांच करवाकर वस्तुस्थिति स्पश्ट की जाए तथा भुगतान की गई राशि की वसूली उत्तरदायी कर्मचारी से प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

51 विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising And Visual Publication – DAVP) द्वारा पॉलिसी में प्रावधित 15 प्रतिशत की छूट का समाचार पत्रों से दावा न किए जाने के कारण टैंडर व अन्य प्रकाशनों पर ₹0.34 लाख का अधिक भुगतान

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising And Visual Publication – DAVP) द्वारा सरकारी विभागों व उपक्रमों द्वारा समाचार पत्रों में छपवाए जाने वाले विज्ञापनों के सन्दर्भ तथा उसके लिए भुगतान किए जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध में एक पॉलिसी जारी की है जिसके प्रावधानों के अनुसार यदि विज्ञापन निदेशालय के जरिये छपवाया जाए तो उसकी लागत पर समाचार पत्र द्वारा 15 प्रतिशत छूट दी जानी अपेक्षित है।

उदाहरण के लिए ''दिव्य हिमाचल प्रकाशन'' के पक्ष में निम्न तालिका के क्रमांक 7 पर वर्णित वाउचर 30 के साथ संलग्न डी. ए. वी. पी. द्वारा जारी रेट कांट्रैक्ट क्रमांक 12673 में सामान्य विज्ञापन दर ₹24.03 तथा 15 प्रतिशत छूट उपरान्त दर ₹20.40 मंजूर की है। इसी प्रकार से अन्य प्रकाशनों के सन्दर्भ में भी डी. ए. वी. पी. द्वारा रेट कांट्रैक्ट जारी किए गए हैं। चूंकि नगर परिशद् बद्दी द्वारा विज्ञापनों का प्रकाशन अपने ही स्तर पर सीधे समाचर पत्रों से करवाया गया है जिस कारण उपरोक्त छूट समाचार पत्रों द्वारा नहीं दी गई है। हालांकि परिशद् सीधे विज्ञापन प्रकाशित करवाने में सक्षम है तदापि एक सरकारी विभाग/उपक्रम होने के नाते उक्त छूट के लिए समाचार पत्रों से मोल–भाव किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया इस कारण से परिशद् द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित माह में विज्ञापनों पर किए गए व्यय की जांच में पाए गए प्रकरण, जो कि निम्नलिखित तालिका में संकलित है, के आधार पर ₹34,343 का अधिक भुगतान किया है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–151 दिनांकः 29–08–2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जाए अथवा अनुचित किए गए भुगतान की राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वाउचर संख्या	दिनांक	संस्था/समाचार पत्र	वाउचर में विज्ञापनों की संख्या	भुगतान राशि
1	23	17.12.2015	पृथ्वी लोक	6	33,000
2	24	17.12.2015	हिमाचल दस्तक मीडिया प्रा. लि.	3	14,354
3	26	17.12.2015	हिमाचल केसरी	4	20,200
4	27	17.12.2015	मै. बैनेट एंड कोलमैन, टाइमज़ ऑफ इंडिया	2	6,674
5	28	17.12.2015	आपका फैसला	1	8,191
6	29	17.12.2015	इंडियन एक्सप्रैस	2	4,778
7	30	17.12.2015	दिव्य हिमाचल	2	16,913
8	31	17.12.2015	पंजाब केसरी	1	12,500
9	31	14.03.2017	मै. जागरण प्रकाशन	1	22,000
10	34	14.03.2017	मै. आपका फैसला	1	7,849
11	35	14.03.2017	द ट्रिब्यून	1	70,967
12	36	14.03.2017	दिव्य हिमाचल	1	11,526
			कुल योगः–		2,28,952
		15 प्रतिशत की दर से प्राप्य छूट की राशिः–			34,343

52 पी. वी. सी. शीटों की खरीद में ₹2447 का अधिक भुगतान

रोकड़ बही के पृश्ठ 49 पर दिनांक 04/03/2017 को वाउचर 12 द्वारा दर्ज ₹35722 के पी. वी. सी. शीटों की खरीद पर किए गए व्यय की जांच में पाया गया कि यह खरीद मै. अग्रवाल स्टोर्ज़, पुराना पंचकुला से निविदाओं के आधार पर की गई है। वाउचर के साथ संलग्न निविदाओं की जांच पर पाया गया कि तीन निविदा देने वाली फर्मों ने अपनी दरें बिना वैट अथवा उसके बारे में कोई सन्दर्भ दिए भेजी थीं जिस कारण उक्त फर्म की न्यून्तम दर ₹125 प्रति किलोग्राम सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी। परन्तु 266.2 कि. ग्रा. की शीटों की आपूर्ती करते समय फर्म द्वारा मूल मूल्य की ₹33275 (266.2 X 125) पर 5.25 प्रतिशत की दर ₹1747 वैट भी लगाया गया था। इसके अतिरिक्त निविदा आमन्त्रण पत्र की शर्तों के अनुसार निविदा में मूल्य परिशद् कार्यालय में पहुँच सहित दिया जाना था। निविदा देने वाली आपूर्तीकर्ता सहित किसी भी फर्म द्वारा अपनी निविदाओं में अलग से सामान ढुलाई भाड़े के बारे में नहीं लिखा गया था। इसके बावजूद भी आपूर्तीकर्ता द्वारा आपूर्ती बिल में ₹700 माल ढुलाई भाड़े के रूप में माँगी गई थी। परिशद् द्वारा उपरोक्त दोनों राशियों की कुल ₹2447 का फर्म को भुगतान किया गया है। अतः अब इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके भविश्य में ऐसी चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

53 बिना टैंडर आमन्त्रित किए ₹5.08 लाख का अनियमित व्यय

रोकड़ बही के पृश्ठ 58 पर दिनांक 27/03/2017 को वाउचर 48 द्वारा दर्ज ₹7,89,251 के बिजली के सामान की मै. श्री गुरू नानक इलैक्ट्रीकल, परवाणू द्वारा की गई आपूर्ती पर किए गए व्यय की जांच में पाया गया कि इस राशि में 9 सब–वाउचरों की व्यय शामिल है। इनमें से पहले पांच तथा सातवें सब वाउचर में कुल ₹2,81,051 का सामान खरीदा गया है जिनमें से प्रत्येक आपूर्ती बिल की एकल ₹1,00,000 से कम है। परन्तु बाकी तीन सब वाउचर जिनमें कुल व्यय ₹5,08,200 का व्यय शामिल है में से हर एक बिल में ₹1,00,000 से अधिक की राशि (135450+154350+218400) का व्यय किया गया है। उपरोक्त सभी नौ सब वाउचरों से की गई खरीद निविदाएं आमन्त्रित करके की गई थीं जो कि हि. प्र. वित्तीय नियम 2009 के नियम 101 के प्रावधानों की अवहेलना है जिसके अनुसार ₹1,00,000 से अधिक राशि के एकमुश्त व्यय के लिए टैंडर आमन्त्रित किया जाना अपेक्षित था। अतः इस अनियमित व्यय के बारे में उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इसे सक्षम प्राधिकारी

की विशेश स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

54 वर्तमान दरों से लगभग ₹1.90 लाख के मूल्य के 4491.8 किलाग्राम सरिये का दुर्विनियोजन

स्थानीय लेखा परीक्षा विभग द्वारा किए गए अवधि 04/2012 से 03/2015 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 28 जो कि सरिये के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किए जाने बारे था, से सम्बन्धित मूल अभिलेख तथा नगर परिषद् बद्दी द्वारा अंकेक्षण आपत्ति पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख के अवलोकन पर निम्नलिखित अंकेक्षण अपेक्षित हैः–

(i) इस पैरा की अनुपालना/सरिया स्टॉक का प्रत्यक्ष त्यापन करवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी बद्दी द्वारा अवधि 05/2016 से 03/2017 तक कई ज्ञापन परिशद् के तत्कालीन कनिश्ठ अभियन्ता श्री शरीफ मोहम्मद को दिए गए हैं परन्तु वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित अनुपालना नहीं हो पाई थी।

(ii) तदोपरान्त कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के संज्ञान में अपने पत्र संख्या एम. सी. बद्दी/स्था./2014–2950 दिनांक 04.03.2017 द्वारा लाया गया था।

(iii) इस पत्र के सन्दर्भ में निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या यू. डी.–एच.(बी)(2)–5/98–4–5172–74 दिनांक 31.05.2017 द्वारा परिशद् के तत्कालीन कनिश्ठ अभियन्ता श्री शरीफ मोहम्मद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तत्कालीन कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा ''मै. एस बिल्ड प्रा. लि. (M/s Ace Build Pvt. Ltd.)** को पत्र लिख कर कहा गया है कि यह 4491.8 किलाग्राम सरिया उन्हें आई. डी. एस. एम. टी. भवन के निर्माण के दौरान दिया गया था जिसे अब परिशद् को वापिस किया जाए।

किसी संविदाकार को निर्माण सामग्री परिशद् द्वारा जारी की जाती है तो उसके मूल्य की कटौती सम्बन्धित कनिश्ठ अभियन्ता द्वारा उस निर्माण से सम्बन्धित चलत अथवा अन्तिम बिल में से करके ही उनका भुगतान किया जाता है। चूंकि उक्त भवन का निर्माण सन् 2008 में पूर्ण हो चुका है तो उसके लिए जारी सरिये की अब तक वापिसी/कटौती न होना मात्र संदेहास्पद ही नहीं अविश्वसनीय भी है।

उपरोक्त तथ्यों तथा इस प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख व तत्कालीन कनिश्ठ अभियन्ता की निजि अभिलेख नस्ति में उपलब्ध अन्य पत्राचार तथा अभिलेख से यह प्रकरण स्पश्टतयः 4491.8 किलाग्राम सरिये का संदिग्ध दुर्विनियोजन का प्रतीत होता है तथा इस प्रकार से इस सरिये का गायब हो जाना पूर्णतः संदिग्ध है। अतः प्राथमिकता के आधार पर परिशद् द्वारा इस प्रकरण की पूर्ण जाँच कर इस सरिये के मूल्य की, जो कि वर्तमान दर ₹42

से ₹45 प्रति किलोग्राम तक है, लगभग ₹1.90 लाख की राशि की दण्डात्मक ब्याज सहित वसूली करने के अतिरिक्त इस सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च विभागीय जांच की जाए और की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

55 स्टॉक प्रविष्टियों को बिलों के ऊपर सन्दर्भित न करनाः–

नगर परिषद् बद्दी के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की जांच में पाया गया कि परिशद् द्वारा खरीदे गए स्टॉक को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज तो किया गया है परन्तु उसका सन्दर्भ सम्बन्धित बिल पर नहीं दिया गया है। जिस कारण से खरीदे गए सामान के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकन की उचित तरीके से विस्तृत जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी है। अतः इस अनुचित कार्य प्रणाली के बारे में उचित स्पश्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु इसमें सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

56 सुरक्षा दीवार निर्माण में शटरिंग व कंक्रीट की अधिक व गलत गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹4.38 लाख का अनुचित लाभ

कार्य का नामः–	बिलांवाली गुज्जरां वार्ड नं. 9 में पटवार घर के नज़दीक कब्रिस्तान में सुरक्षा दीवार का निर्माण।
संविदाकारः–	श्री बुध राम ठाकुर
टैंडर राशिः–	10,97,499 ⁄ –
कार्य आबंटन पत्रः–	MC Baddi/Works/2015-913 dated 16-06-2015
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 33 Page 5-7 & 33-38

उक्त कार्य हेतु आर. सी. सी. सुरक्षा दीवार कब्रिस्तान के किनारे की ढलानदार अथवा उंचाई वाली जगहों से भूमिकटाव को रोकने हेतु दी गई थी व इस सुरक्षा दीवार की बुनियाद के लिए 1.5 मीटर गहरी खुदाई की गई थी। मद संख्या 3 के अनुसार इस सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु मापन पुस्तिका पृश्ठ 33 के 5–6 तथा पृश्ठ 33 पर दर्ज मापन प्रविश्टियों के अनुसार 0.60 मीटर प्रति चरण की उंचाई के पांच चरणों (Steps) के निर्माण में केवल 3.0 मीटर की उंचाई तक ही शटरिंग का प्रयोग किया गया व बुनियाद में 1:6:12 के अनुपात में 0.15 मीटर की उंचाई तक कंक्रीट डाला गया था। मद संख्या 4 के अनुसार बुनियाद के ऊपर 4.5 मीटर उंचाई तक 1:3:6 के अनुपात में कंक्रीट दीवार का निर्माण किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां दर्ज की गई हैंः–

चूंकि इस सुरक्षा दीवार का निर्माण 1:3:6 के अनुपात में कंक्रीट से किया गया है तो इसमें प्रथम चरण से ही बुनियाद के ऊपर एक तरफा स्टील प्लेटों से शटरिंग की जानी आवश्यक थी। मद संख्या 3 में दर्ज मापन प्रविश्टि के अनुसार शटरिंग का प्रयोग मात्र 3.0 मीटर की ऊंचाई के लिए किया गया है तो स्पश्ट है कि सुरक्षा दीवार की ऊंचाई भी 3.0 ही मीटर थी। परन्तु मद संख्या 4 में 4.5 मीटर की ऊंचाई के लिए 1:3:6 के अनुपात में कंक्रीट का भुगतान किया गया है जिस कारण से मापन में अधिक दर्ज 1.5 मीटर ऊंचाई, 101.4

मीटर की लंबाई व 0.60 मीटर की मोटाई के आधार पर इस दीवार में 91.26 घनमीटर (1.5 X 101.4 X 0.60 = 91.26) कंक्रीट के लिए ₹4200 प्रति घनमीटर की दर से **कुल ₹3,83,292 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।**

इस सुरक्षा दीवार को कब्रिस्तान में भूमि कटाव के उद्देश्य से निर्मित किया गया था तो स्पश्टतयः इसके एक तरफ पहले से ही मिट्‌टी की प्राकृतिक दीवार थी जिस कारण इसमें एक ही तरफ स्टील प्लेटों से शटरिंग की जानी अपेक्षित थी परन्तु बिल की मद संख्या 3 की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि दोतरफा शटरिंग का 101.4 मीटर की लंबाई तथा 3.0 मीटर ऊंचाई के आधार पर कुल प्रमात्रा 592.56 वर्ग मीटर के लिए ₹185 प्रति वर्गमीटर की दर से लिए [(2 X 101.40 X 3.0 = 608.4 m^2)less Deductions (2 X 26.4 X 0.30 = 15.84m^2) = 592.56 X 185 = 109624) कुल ₹1,09,624 का भुगतान किया गया। जबकि उपरोक्त तथ्यों से स्पश्ट है कि इस मद में मात्र एकतरफा शटरिंग के लिए इससे आधी प्रमात्रा अर्थात 296.28 वर्ग मीटर का ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकरण में भी वास्तव में एकतरफा शटरिंग का ही प्रयोग किया गया था जिसकी पुश्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि दोतरफा शटरिंग के मामलों में दीवार के पीछे बची खाली जगह में रेत व पत्थर अथवा मिट्‌टी भरी जाती है जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया है। इस प्रकार जानबूझ कर कुल 296.28 वर्गमीटर के लिए ₹185 प्रति वर्गमीटर की दर से **कुल ₹54812 का अधिक भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है।**

इसके अतिरिक्त सामान्यतः इस प्रकार की कंक्रीट सुरक्षा दीवारें स्थायीत्व देने के उद्देश्य से उत्तरोतर ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती मोटाई में टेपर (Tapering) के साथ बनाई जाती हैं। परन्तु इस कार्य में ऐसा न करके पूरी 4.5 मीटर की ऊंचाई के लिए 0.60 मीटर की मोटाई का ही भुगतान किया गया है। तकनीकी आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस आधार पर किए गए अधिक भुगतान की गणना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी है।

इस प्रकार से उपरोक्त 1 व 2 में दिए विवरणानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए व इस बिल में कुल ₹4,38,104 (₹383292+54812) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त सब पैरा 3 में हुए अधिक भुगतान की गणना परिशद् द्वारा अपने स्तर पर की जाए अन्यथा कुल अधिक किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत अथवा उत्तरदायी कर्मचारियों से सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

57 सुरक्षा दीवार निर्माण में दोतरफा शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0.71 लाख का अनुचित लाभ

कार्य का नामः–	बिलांवाली, वार्ड 9, फौजी कम्पलैक्स के पास नाले का तटीकरण तथा पार्किंग निर्माण
संविदाकारः–	श्री राजन कुमार (6 बिलों की जांच)

मापन पुस्तिका व पृश्ठः– MB 45 Page 6, 10, 14, 18, 22 & 27

उपरोक्त बिल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि बिल की एक मद में सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु दोतरफा स्टील प्लेट शटरिंग का प्रयोग व भुगतान किया गया है। इस मद की 6 बिलों में कुल 582.92 वर्गमीटर (96+96+135.20+137.52+64+54.20) स्टील प्लेट शटरिंग के लिए ₹244 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹1,42,233 का भुगतान किया गया है। चूंकि निर्माण कार्य कंक्रीट की सुरक्षा दीवार (Retaining wall) से सम्बन्धित था न कि कोई भूमि के ऊपर की सीमा दीवार (Boundary Wall) तो स्पश्टतयः इसके एक तरफ पहले से ही मिट्टी की प्राकृतिक दीवार थी जिस कारण इसमें एक ही तरफ स्टील प्लेटों से शटरिंग की जानी अपेक्षित थी। अतः इस मद में मात्र एकतरफा शटरिंग के लिए भुगतान की गई प्रमात्रा से आधी प्रमात्रा अर्थात 291.46 वर्गमीटर का ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकरण में भी वास्तव में एकतरफा शटरिंग का ही प्रयोग किया गया था जिसकी पुश्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि दोतरफा शटरिंग के मामलों में दीवार के पीछे बची खाली जगह में रेत व पत्थर अथवा मिट्टी भरी जाती है जो कि इस कार्य में नहीं किया गया है। इस प्रकार जानबूझ कर कुल 291.46 वर्गमीटर के लिए ₹244 प्रति वर्गमीटर की दर से **कुल ₹71,117 का अधिक भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।** अतः इस अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

58 नाले के तटीकरण (Channelisation) कार्य में शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0.39 लाख का अनुचित लाभ

कार्य का नामः–	सब्जी मण्डी के पास फड़ी विक्रेताओं के लिए पलैटफॉर्म के निर्माण हेतु नाले का तटीकरण आर. डी. 0/0 से 0/100
संविदाकारः–	श्री मोहन लाल (4 बिल)
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 48 Page 3, 7, 12 & 16

उपरोक्त बिल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि बिल की एक मद में नाले के तटीकरण हेतु दोतरफा स्टील प्लेट शटरिंग का प्रयोग व भुगतान किया गया है। इस मद की 4 बिलों में कुल 358.29 वर्गमीटर (60+90+90+118.29) स्टील प्लेट शटरिंग के लिए ₹218 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹78,107 का भुगतान किया गया है। चूंकि निर्माण कार्य कंक्रीट से नाले के तटीकरण से सम्बन्धित था तो स्पश्टतयः इसके एक तरफ पहले से ही मिट्टी की प्राकृतिक दीवार थी जिस कारण इसमें एक ही तरफ स्टील प्लेटों से शटरिंग की जानी अपेक्षित थी। अतः इस मद में मात्र एकतरफा शटरिंग के लिए भुगतान की गई प्रमात्रा से आधी प्रमात्रा अर्थात 179.15 वर्गमीटर का ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार

जानबूझ कर कुल 179.15 वर्गमीटर के लिए ₹218 प्रति वर्गमीटर की दर से **कुल ₹39,055 का अधिक भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है।** अतः इस अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

59 नाले के तटीकरण (Channelisation) कार्य में शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0.60 लाख का अनुचित लाभ

कार्य का नामः–	सब्जी मण्डी के पास नाले का तटीकरण आर. डी. 0/75 से 0/95
संविदाकारः–	जवाहर अर्थ मूवर्ज़ ऐंण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (3 बिल)
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 50 Page 19, 22 & 29

उपरोक्त बिल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि बिल की एक मद में नाले के तटीकरण हेतु दोतरफा स्टील प्लेट शटरिंग का प्रयोग व भुगतान किया गया है। इस मद की 3 बिलों में कुल 548.90 वर्गमीटर (208.80+158+182.10) स्टील प्लेट शटरिंग के लिए ₹218 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹1,19,660 का भुगतान किया गया है। चूंकि निर्माण कार्य कंक्रीट से नाले के तटीकरण से सम्बन्धित था तो स्पश्टतयः इसके एक तरफ पहले से ही मिट्टी की प्राकृतिक दीवार थी जिस कारण इसमें एक ही तरफ स्टील प्लेटों से शटरिंग की जानी अपेक्षित थी। अतः इस मद में मात्र एकतरफा शटरिंग के लिए भुगतान की गई प्रमात्रा से आधी प्रमात्रा अर्थात 274.45 वर्गमीटर का ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार जानबूझ कर कुल 274.45 वर्गमीटर के लिए ₹218 प्रति वर्गमीटर की दर से **कुल ₹59,830 का संदिग्ध भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है।** अतः इस अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए वसूली उचित स्त्रोत से प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

60 नाले के तटीकरण (Channelisation) कार्य में शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹31,055 का अनुचित लाभ

कार्य का नामः–	सुराज माजरा लबाणा, वार्ड 3 में सुलभ शौचालय के नज़दीक पार्किंग का निर्माण (सुरक्षा दीवार)
संविदाकारः–	श्री नरेन्द्र कुमार
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 49 Page 19

उपरोक्त बिल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि बिल की एक मद में पार्किंग निर्माण हेतु साथ बहते नाले के तटीकरण हेतु दोतरफा स्टील प्लेट शटरिंग का प्रयोग व भुगतान किया गया है। इस मद में कुल 383.40 वर्गमीटर स्टील प्लेट शटरिंग के लिए ₹162 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹62,111 का भुगतान किया गया है। चूंकि निर्माण कार्य कंक्रीट से

नाले के तटीकरण से सम्बन्धित था तो स्पश्टतयः इसके एक तरफ पहले से ही मिट्टी की प्राकृतिक दीवार थी जिस कारण इसमें एक ही तरफ स्टील प्लेटों से शटरिंग की जानी अपेक्षित थी। अतः इस मद में मात्र एकतरफा शटरिंग के लिए भुगतान की गई प्रमात्रा से आधी प्रमात्रा अर्थात 191.70 वर्गमीटर का ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस कार्य में भी वास्तव में एकतरफा शटरिंग का ही प्रयोग किया गया था जिसकी पुश्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि दोतरफा शटरिंग के मामलों में दीवार के पीछे बची खाली जगह में रेत व पत्थर अथवा मिट्टी भरी जाती है जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया है। इस प्रकार जानबूझ कर कुल 191.70 वर्गमीटर के लिए ₹162 प्रति वर्गमीटर की दर से **कुल ₹31,055 का संदिग्ध भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है।** अतः इस भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

61 यू (U) आकार की नालियों के निर्माण कार्य में शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0.21 लाख का अनुचित भुगतान

कार्य का नामः–	बसंती बाग में तलवार स्वीटस के सामने यू **(U)** आकार की नालियों का निर्माण
संविदाकारः–	मै. सुन्डलाज़ बिल्डर्ज़ (प्रा.) लि.
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 41 Page 71 & 86

उपरोक्त बिल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि बिल की एक मद में नालियों के निर्माण हेतु दोतरफा स्टील प्लेट शटरिंग का प्रयोग व भुगतान किया गया है। इस मद में कुल 159.58 वर्गमीटर स्टील प्लेट शटरिंग के लिए ₹268 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹42,768 का भुगतान किया गया है। चूंकि निर्माण कार्य कंक्रीट से जमीनी स्तर से नीचे नालियों के निर्माण से सम्बन्धित था तो स्पश्टतयः इसके एक तरफ पहले से ही मिट्टी की प्राकृतिक दीवार थी जिस कारण इसमें एक ही तरफ स्टील प्लेटों से शटरिंग की जानी अपेक्षित थी। अतः इस मद में मात्र एकतरफा शटरिंग के लिए भुगतान की गई प्रमात्रा से आधी प्रमात्रा अर्थात 79.79 वर्गमीटर का ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार कुल 79.79 वर्गमीटर के लिए ₹268 प्रति वर्गमीटर की दर से **कुल ₹21384 का संदिग्ध भुगतान करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।** अतः इस अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

62 नाले के तटीकरण कार्य में कंक्रीट की गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹0.43 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नामः–	सब्जी मण्डी के पास पलैटफॉर्म के निर्माण हेतु नाले का तटीकरण आर. डी. 0/75 से 0/100
संविदाकारः–	श्री मोहन लाल
अन्तिम बिल तक किये गये कार्य की राशि	₹4,77,461
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 48 Page 15-20

उपरोक्त बिल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मद संख्या 4 जिसमें 1:3:6 के अनुपात में कंक्रीट डालने का कार्य किया गया है में मापन पुस्तिका के पृश्ठ 17 पर कार्य मापन प्रविश्टियां दर्ज करते समय गलत गणना/योग के कारण किए गए कार्य की कुल प्रमात्रा 72.09 घन मीटर लिखी गई है जबकि वास्तव में यह 62.09 घन मीटर है। इस कारण से अधिक लिखी गई 10.0 घनमीटर की मात्रा के लिए ₹4310 प्रति घनमीटर की दर से कुल ₹43100 का अधिक भुगतान हुआ है। अतः इस अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

63 नाले के तटीकरण व पार्किंग हेतु स्लैब निर्माण में सरिये की गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नामः–	फौजी कम्पलैक्स के पास नाले का तटीकरण तथा पार्किंग हेतु आर. सी. सी. स्लैब का निर्माण आर. डी. 0/0 से 0/30
संविदाकारः–	श्री राजन
अन्तिम बिल तक किये गये कार्य की राशि	₹4,25,141
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 48 Page 20-30

उपरोक्त बिल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मद संख्या 3 जिसमें निर्माण कार्य में प्रयोग किए गए सरिये का मापन तथा भुगतान दर्ज है की गणना करते समय मापन पुस्तिका के पृश्ठ 27 पर उपयोग किए गए 16 मिलीमीटर सरिये की कुल लम्बाई 529.05 मीटर लिखी गई है जबकि वास्तव में यह मात्र 467.85 मीटर है। इस कारण से अधिक लिखी गई 61.20 मीटर लम्बाई जिसका वजन 1.58 किलोग्राम प्रति मीटर की दर से 96.696 किलोग्राम बनता है के लिए ₹64.90 प्रति किलोग्राम की दर से कुल ₹6,276 का अधिक भुगतान हुआ है। अतः इस अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

64 पार्किंग निर्माण में मिट्टी खुदाई की गलत दर लगाकर ठेकेदार को ₹4,228 का अधिक भुगतान

कार्य का नामः–	बद्दी, वार्ड 3, सुराज माजरा लबाणा में पार्किंग का निर्माण
संविदाकारः–	श्री नरेन्द्र कुमार
अन्तिम बिल तक किये गये कार्य की राशि	₹16,04,334 (चार बिल)
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 48 Page 1-16

उपरोक्त बिल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मद संख्या 1 जिसमें मिट्टी की खुदाई का मापन तथा भुगतान दर्ज है की कुल 845.52 घनमीटर (172.09+260.85+227.34+185.24) खुदाई का भुगतान किया गया है। इस मद के सन्दर्भ में ठेकेदार द्वारा मूल टैंडर में ₹180 की दर दी गई थी जिसे मोल–भाव के उपरान्त ₹175 की दर पर संशोधित किया गया था। परन्तु इस मद का भुगतान करते समय ₹175 के स्थान पर ₹180 की दर से गणना की गई है। इस प्रकार 845.52 घनमीटर खुदाई के लिए ₹5 प्रति घनमीटर की दर से कुल ₹4,228 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः इस अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

65 संविदाकार को सड़क निर्माण कार्य में ₹1,76,868 के भुगतान के सन्दर्भ में अभिलेख/वस्तुस्थिति स्पष्ट न करना

कार्य का नामः–	हाउसिंग बोर्ड कोलोनी –3 में शिव मन्दिर से हिमुडा पम्प हाउस तक आर. डी. 0/0 से 0/300 तक सड़क को पक्का करना व तारकोल बिछाकर पुनः निर्माण करना (Reconstruction of road by matteling and tarring from Shiv Mandir to HIMUDA Pump House in HBC-III RD 0/0 to 0/300)
संविदाकारः–	सुन्डलाज़ बिल्डर्ज़ (प्रा.) लि. बद्दी
टैंडर राशि	₹7,85,400
अन्तिम बिल तक किये गये कार्य की राशि	₹9,90,898
मापन पुस्तिका व पृश्ठः–	MB 32 Page 95 - 98

उपरोक्त कार्य के बिल की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि इसमें कुल चार मदों का निशपादन हुआ है जिनका विवरण निम्न तालिका में हैः–

Item	Description	Qty	Rate (₹)	Amt. (₹)
1	Providing and laying spreading and compacting stone aggregate of specific size to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness hand packing rolling with three wheel 80-100 kn static roller in stgaes to proper grade and camber, applying and brooming crushable screening to fill up the interstics of coarse aggregate watering and compacting to the required density grading 3 as per technical specifications clause 405 by machanical means	165.16m^3	1750	289030
2	Providing and applying tack coat with bitumen emulsion(RS-1) using emulsion distributor @ 0.20 to 0.25 Kg Per Sqm on the prepared bituminous surface cleaned with hydraulic broom as per technical specification clause 503	2331.79m^2	47	109594
3	Providing , laying and rolling of open graded premix carpet of 20mm thickness composed of 13.2mm to 5.6mm aggregate either using penetration grade bitumen or emulsion to required line grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base including mixing in a suitable plant laying and rolling with a three wheel 80-100 kn static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat of eithre Type A or Type B or Type C as per technical specification clause 508 by mechanical means Type A Bitumen (S-90)	2331.79m^2	179	417390
4	Providing and laying seal coat sealing the voids in a bituminous surface laid to the specified levels grade and cross fall using Type A, Type B and Type C as per technical specification clause 510 by mechanical means Type A Bitumen (S-90)	2331.79m^2	75	174884
	Total			**990898**

अंकेक्षण में जांच के दौरान पाया गया कि प्रथम मद का निशपादन पक्की सड़क तैयार करने हेतु नींव/आधार के रूप में किया गया है। इस मद की मापन प्रविश्टियों की जांच में पाया गया कि आर. डी. 207 से आर. डी. 303 तक की 96 मीटर की लम्बाई में इस मद का कार्य नहीं किया गया है। परन्तु मद संख्या 2 (₹47), 3 (₹179) व 4 (₹75) का

निश्पादन आर. डी. 207 से आर. डी. 303 तक की 96 मीटर की लम्बाई में कर दिया गया है जिस कारण से इस लम्बाई में कुल निश्पादित मात्रा 587.60 वर्ग मीटर के लिए तीनों मदों का कुल ₹1,76,868 (587.60 × 301) का भुगतान संविदाकार को किया गया है। परन्तु जब सड़क के लिए इस भाग में आधार/नींव तैयार करने वाली मद का निश्पादन ही नहीं किया गया था तो बाकी की तीन मदों को किस प्रकार निश्पादित किया गया है इस बारे में वस्तुस्थिति स्पश्ट करने वाला कोई अभिलेख बिल के साथ उपलब्ध नहीं था और न ही इस कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व भौगोलिक रेखाचित्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इस विसंगति बारे स्पश्टीकरण हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/–161 दिनांकः 22–09–2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सप्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस प्रकरण की जांच करके तथा किसी अनियमितता के पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करके तदानुसार अनुपालना सं अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

66 निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान

नगर परिशद बद्दी के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की जांच में निर्माण कार्यों के बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि लगभग प्रत्येक कार्य का वास्तविक निश्पादन उस कार्य की टैंडर राशि के मुकाबले अधिक अथवा कम होने के कारण विचलन आया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सन्दर्भ में प्रतिपादित नियमों के अनुसार टैंडर राशि के मुकाबले 10 प्रतिशत से कम अथवा अधिक विचलन की स्थिति में सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व इस विचलन को सक्षम प्रधिकारी की लिखित स्वीकृति से नियमित करवाना होगा। परन्तु नगर परिशद् द्वारा इन नियमों की किसी भी प्रकार से अनुपालना नहीं की है तथा समस्त ऐसे प्रकरणों में अन्तिम बिलों का भुगतान बिना विचलन को स्वीकृत करवाए ही कर दिया गया है ऐसे ही कुछ प्रकरण जो कि जांच में सामने आए हैं निम्नलिखित तालिका में संकलित हैं। इन उदाहरण हेतु सन्दर्भित प्रकरणों में भी विचलन ऋणात्मक 17.50 प्रतिशत से लेकर 40.45 प्रतिशत आधिक्य में पाया गया है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/–161 दिनांकः 22–09–2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सप्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	कार्य	एम. बी. संख्या	एम. बी. पृश्ठ	टैंडर राशि	निश्पादित कार्य राशि	विचलन राशि	विचलन प्रतिशत	कम / अधिक
1	Reconstruction of road with interlocking tiles from Baddi Barotiwala road to h/o Gian Chand in ward 5, Juddi Khurd	33 व 34	92—93 व 2—4	787950	967156	179206	22.74	अधिक
2	C/o Protection Wall to Graveyard (Billanwali Gujjaran) near patwar circle in Ward 9	33	5—7 व 33—38	1097499	1318723	221224	20.16	अधिक
3	Reconsruction of road by mettaling & tarring from Shiv Mandir to HIMUDA pump house in HBC-III RD 0/0 to 3/300	32	95—98	785400	990898	205498	26.16	अधिक
4	Reconsruction of road by mettaling & tarring from Shiv Mandir to HIMUDA pump house in HBC-III RD 0/300 to 3/600	32 व 33	98—99 व 3—5	785400	986192	200792	25.57	अधिक
5	Retarring of road from Laj Dharmkanta to Gurudwara Billanwali Labana Ward 8 & 9 Baddi	32	74—77	550980	773840	222860	40.45	अधिक
6	Channelization of Nallah & casting of RCC slab parking near Fauji Complex RD 0/0 to 0/30	45	20—25	430543	355193	75350	17.50	कम

67 निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करना

नगर परिशद् बद्दी के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों के बिलों की जांच में पाया गया कि परिशद् द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 12 में प्रावधित नियमों में से अधिकतर की अवहेलना की है। इन बिलों की जांच में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः—

(क) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 189 के अनुसार परिशद् बिना उचित प्राक्कलन तैयार करवाए तथा उसकी प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य का निशपादन नहीं करवा सकती है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान किसी भी निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपरोक्त अभिलेख, विशेशतयः वर्श 2015—16 का, अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा टैंडर में भरी गई दरों को बाजार मूल्य के साथ तर्कसंगतता के आधार पर परखा जाता है (Justification of

Rates is Prepared)। परन्तु परिशद् द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ण अवहेलना करते हुए किसी भी निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व जस्टीफिकेशन ऑफ रेटस तैयार नहीं की है।

(ग) ठेकेदारों द्वारा टैंडर में दी गई दरों के लिए तैयार तुलनात्मक विवरणी में इनकी तुलना शेडयूल की दरों से करते हुए कम अथवा आधिक्य प्रतिशत नहीं दर्शाया गया है (Percentage above or below the Scheduled Rates not being referred in comparative statement of tendered rates)।

(घ) किसी भी निर्माण कार्य को करवाने से पूर्व उसका रेखाचित्र तैयार नहीं किया जाता है जिस कारण जांच के समय यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि कार्य कहां पर तथा किस प्रकार के धरातल पर किस प्रकार की परिस्थितियों में किया गया है।

(ङ) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 201 के अनुसार कार्य की पूर्णता पर सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा प्रारूप एम. डबल्यू. – 14 पर ''कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र'' जारी करना होगा। परन्तु नगर परिशद् बद्दी में इस नियम की पूर्ण अवहेलना करते हुए किसी भी कार्य में यह प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

उपरोक्त त्रुटियों के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–161 दिनांकः 22–09–2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सप्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

68 निष्पादित निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में ''निर्माण सामग्री उपभोग विवरणी (Material Consumption Statement) तैयार न करना

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार प्रत्येक कार्य के सन्दर्भ में ''निर्माण सामग्री उपभोग विवरणी'' सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा तैयार की जानी आवश्यक है ताकि भुगतान की गई सामग्री की मात्रा का तकनीकी आधार पर सत्यापन किया जा सके। परन्तु नगर परिशद् बद्दी द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निशपादित करवाए गए कार्यों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए इस प्रकार की कोई विवरणी तैयार नहीं की गई है। यह एक गम्भीर अनियमितता है अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

69 बूचड़खाने का रख रखाव/स्थापना न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 172 के अनुसार नगर परिशद् द्वारा अपनी भौगोलिक सीमाओं के अन्दर बूचड़खाने की स्थापना करना अनिवार्य है।

बद्दी एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां लाखों लोग रहते हैं तथा प्रतिदिन कई क्विंटल मांस की बिक्री/खपत होती है। परन्तु परिशद् द्वारा उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुए अभी तक बूचड़खाने की स्थापना नहीं की गई है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

70 जल प्रभार की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय 9 के अन्तर्गत दिए नियम 100 से 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा दायित्वों का निर्वहन करते हुए नगर परिशद् बद्दी द्वारा अपनी भौगोलिक सीमाओं के अन्दर कुछ क्षेत्रों में अपने संसाधनों से जल वितरण का दायित्व निभाया जाता है तथा इस उद्देश्य के लिए बोरवैल लगाकर पम्प हाउस भी बनाए गए हैं जिनके लिए किए गए पूँजीगत व्यय के अतिरिक्त उनके रखरखाव का दैनिक खर्चा व बिजली खपत का भुगतान भी परिशद् द्वारा किया जाता है। परन्तु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 7 के अन्तर्गत दिए नियम 127 से 133 के प्रावधानों के अनुसार इस जल वितरण हेतु किसी प्रकार का प्रभार लाभार्थी नागरिकों से वसूल नहीं किया जाता है। इस चूक के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अं.वृ. बिलासपुर/एल. ए.डी./2017/–161 दिनांकः 22–09–2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सप्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

71 गौसदन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 9 के प्रावधानों के अनुसार नगर परिशद् बद्दी द्वारा गौसदन की स्थापना तो की गई है परन्तु इस अध्याय में प्रतिपादित नियम 138 से 151 के प्रावधानों के अनुसार अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर अनियमितता है अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

72 वाउचर नम्बरों का गलत तरीके से लगाया जाना

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नियमानुसार सही तरीके से नहीं लगाया गया है। प्रतिपादित लेखांकन नियमों तथा समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ से लेकर अन्त तक रोकड़ बही में क्रमानुसार दर्ज प्रत्येक प्रविश्टि के लिए सम्बन्धित वाउचरों

में क्रमानुसार ही वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिशद् बद्दी में वाउचर क्रमांक वार्शिक के स्थान पर मासिक आधार पर प्रारम्भ से लगाया जाता है। अतः बारे में वस्तुस्थिति स्पश्ट करते हुए भविश्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

73 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपतियों का निपटारा लेखा परीक्षा के दौरान ही कर दिया गया। अतः लघु आपति विवरणिका अगल से जारी नहीं की गई।

74 **निष्कर्ष :–** लेखाओं के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0) एच (2) सी (15) 5 (105)2012 खण्ड–2–2819–2820 दिनांक 24.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 की पैरा संख्या 1 (ख) पर वर्णित गम्भीर अनियतिताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट–''1''

पैरा 1(ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(क)	**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/1999 से 3/2005**			
	1	पैरा 1	अनिर्णीत	
	2	पैरा 2	अनिर्णीत	
	3	पैरा 3(क)	अनिर्णीत	
	4	पैरा 3(ड़)	अनिर्णीत	
	5	पैरा 4(1)	अनिर्णीत	
	6	पैरा 4(2)	अनिर्णीत	
	7	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
	8	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
	9	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
	10	पैरा 5(घ)(1)	अनिर्णीत	
	11	पैरा 5(घ)(2)	अनिर्णीत	
	12	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	
	13	पैरा 5(च)(1 से 5)	अनिर्णीत	
	14	पैरा 5(छ)(1)	अनिर्णीत	
	15	पैरा 5(छ)(3)	आंशिक निर्णीत	(क्रम संख्या 1, 2, 3 व 4 से देय क्रमशः 1000, 1000, 1000 व 500 की राशि जी–8 संख्या 5082, 5085, 5080 व 5089 द्वारा दिनाक 16.8. 2007, 16.8.2007, 14.8.2007 व 27.8.2007 द्वारा वसूल कर ली गई। क्रम संख्या 5 व 6 के पक्ष में भी अपेक्षित कार्यवाही की जाए।
	16	पैरा 5(छ)(4)	अनिर्णीत	
	17	पैरा 5(छ)(5)	अनिर्णीत	
	18	पैरा 5(ज)(1 से 5)	अनिर्णीत	
	19	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
	20	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	
	21	पैरा 5(ट)	अनिर्णीत	
	22	पैरा 5(ठ)	अनिर्णीत	
	23	पैरा 5(ढ)	अनिर्णीत	
	24	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत	
	25	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
	26	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
	27	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
	28	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	

	29	पैरा 6(ड़)	अनिर्णीत	
	30	पैरा 6(च)	अनिर्णीत	
	31	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत	
	32	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत	
	33	पैरा 6(झ)	अनिर्णीत	
	34	पैरा 6(ञ)	अनिर्णीत	
	35	पैरा 6(ट)	अनिर्णीत	
	36	पैरा 6(ठ)	अनिर्णीत	
	37	पैरा 6(ड)	अनिर्णीत	
	38	पैरा 6(ढ)	अनिर्णीत	
	39	पैरा 6(ण)	अनिर्णीत	
	40	पैरा 6(त)	अनिर्णीत	
	41	पैरा 6(थ)	अनिर्णीत	
	42	पैरा 6(द)	अनिर्णीत	
	43	पैरा 6(ध)	अनिर्णीत	
	44	पैरा 6(न)	अनिर्णीत	
	45	पैरा 6(प)	अनिर्णीत	
	46	पैरा 6(फ)	अनिर्णीत	
	47	पैरा 6(ब)	अनिर्णीत	
	48	पैरा 6(भ)(1 से 4)	अनिर्णीत	
	49	पैरा 6(म)(1 से 3)	अनिर्णीत	
	50	पैरा 6(य)	अनिर्णीत	
	51	पैरा 6(र)	अनिर्णीत	
	52	पैरा 6(ल)	अनिर्णीत	
	53	पैरा 6(व)	अनिर्णीत	
	54	पैरा 6(श)	अनिर्णीत	
	55	पैरा 6(ष)	अनिर्णीत	
	56	पैरा 6(स)	अनिर्णीत	
	57	पैरा 6(ह)	अनिर्णीत	
	58	पैरा 7(1 से 19)	अनिर्णीत	
	59	पैरा 7(क)(1 से 7)	अनिर्णीत	
	60	पैरा 7(ख)(1 से 7)	अनिर्णीत	
	61	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	
	62	पैरा 7(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत	
	63	पैरा 7(ड़)	अनिर्णीत	
	64	पैरा 7(च)(1 से 7)	अनिर्णीत	
	65	पैरा 7(छ)	अनिर्णीत	
	66	पैरा 7(ज)	अनिर्णीत	
	67	पैरा 7(झ)	अनिर्णीत	
	68	पैरा 7(ञ)	अनिर्णीत	

	69	पैरा 7(ट)	अनिर्णीत	
	70	पैरा 7(ठ)	अनिर्णीत	
	71	पैरा 7(ड)	अनिर्णीत	
	72	पैरा 7(ढ)(1 से 5)	अनिर्णीत	
	73	पैरा 7(ण)	अनिर्णीत	
	74	पैरा 7(त)(1 से 3)	अनिर्णीत	
	75	पैरा 7(थ)(1 से 5)	अनिर्णीत	
	76	पैरा 7(द)	अनिर्णीत	
	77	पैरा 7(ध)	अनिर्णीत	
	78	पैरा 7(न)	अनिर्णीत	
	79	पैरा 7(प)	अनिर्णीत	
	80	पैरा 7(फ)	अनिर्णीत	
	81	पैरा 7(ब)	अनिर्णीत	
	82	पैरा 7(म)(1 से 4)	अनिर्णीत	
	83	पैरा 7(य)(1 से 3)	अनिर्णीत	
	84	पैरा 7(र)(1 से 2)	अनिर्णीत	
	85	पैरा 7(ल)	अनिर्णीत	
	86	पैर 7(व)	अनिर्णीत	
	87	पैरा 7(श)	अनिर्णीत	
	88	पैरा 7(ष)	अनिर्णीत	
	89	पैरा 7(स)(1 से 4)	अनिर्णीत	
	90	पैरा 7(ह)	अनिर्णीत	
	91	पैरा 7(क्ष)	अनिर्णीत	
	92	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
	93	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
	94	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत	
	95	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत	
	96	पैरा 8(ड़)	अनिर्णीत	
	97	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
	98	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
	99	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत	
	100	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत	
	101	पैरा 9(ड़)	अनिर्णीत	
(ख)	**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008**			
	1	पैरा 4(2)	अनिर्णीत	
	2	पैरा 4(5)	अनिर्णीत	
	3	पैरा 4(7)	अनिर्णीत	
	4	पैरा 4(17)	अनिर्णीत	
	5	पैरा 4(18)	अनिर्णीत	
	6	पैरा 5(3)	अनिर्णीत	

	7	पैरा 5(4)	अनिर्णीत	
	8	पैरा 5(5)	आंशिक रूप से निर्णीत	
	9	पैरा 5(6)	अनिर्णीत	
	10	पैरा 5(7)	अनिर्णीत	
	11	पैरा 5(8)	अनिर्णीत	
	12	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
	13	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
	14	पैरा 6(6)	अनिर्णीत	
	15	पैरा 6(7)(क)	अनिर्णीत	
	16	पैरा 6(7)(ख)	अनिर्णीत	
	17	पैरा 6(8)	अनिर्णीत	
	18	पैरा 6(9)	अनिर्णीत	
	19	पैरा 6(11)	अनिर्णीत	
	20	पैरा 6(12)	अनिर्णीत	
	21	पैरा 6(13)	अनिर्णीत	
	22	पैरा 6(14)	अनिर्णीत	
	23	पैरा 6(15)	अनिर्णीत	
	24	पैरा 6(16)	अनिर्णीत	
	25	पैरा 6(21)	अनिर्णीत	
	26	पैरा 6(22)	अनिर्णीत	
	27	पैरा 6(23)	अनिर्णीत	
	28	पैरा 6(25)	अनिर्णीत	
	29	पैरा 6(26)	अनिर्णीत	
	30	पैरा 6(27)	अनिर्णीत	
	31	पैरा 6(28)	अनिर्णीत	
	32	पैरा 6(29)(क)	अनिर्णीत	
	33	पैरा 6(29)(ख)	अनिर्णीत	
	34	पैरा 6(31)	अनिर्णीत	
	35	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
	36	पैरा 7(2)(क)	अनिर्णीत	
	37	पैरा 7(2)(ख)	अनिर्णीत	
	38	पैरास 7(3)	अनिर्णीत	
	39	पैरा 7(3)(क)	अनिर्णीत	
	40	पैरा 7(3)(ख)	अनिर्णीत	
	41	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
	42	पैरा (5)(क)	अनिर्णीत	
	43	पैरा 7(5)(ख)	अनिर्णीत	
	44	पैरा 7(6)(घ)	अनिर्णीत	
	45	पैरा 7(6)(ड़)	अनिर्णीत	

	46	पैरा 7(7)(क)	अनिर्णीत	
	47	पैरा 7(7)(ख)	अनिर्णीत	
	48	पैरा 7(7)(ग)	अनिर्णीत	
	49	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	
	50	पैरा 7(9)	अनिर्णीत	
	51	पैरा 7(10)(क)	अनिर्णीत	
	52	पैरा 7(10)(ख)	अनिर्णीत	
	53	पैरा 7(10)(च)	अनिर्णीत	
	54	पैरा 7(10)(ज)	अनिर्णीत	
	55	पैरा 7(12)(क)	अनिर्णीत	
	56	पैरा 7(12)(ख)	अनिर्णीत	
	57	पैरा 7(12)(ग)	अनिर्णीत	
	58	पैरा 7(12)(घ)	अनिर्णीत	
	59	पैरा 7(13)(क)	अनिर्णीत	
	60	पैरा 7(13)(ख)	अनिर्णीत	
	61	पैरा 7(13)(ग)	अनिर्णीत	
	62	पैरा 7(14)	अनिर्णीत	
	63	पैरा 7(15)	अनिर्णीत	
	64	पैरा 7(16)	अनिर्णीत	
	65	पैरा 7(17)	अनिर्णीत	
	66	पैरा 7(20)	अनिर्णीत	
	67	पैरा 7(21)	अनिर्णीत	
	68	पैरा 7(22)	अनिर्णीत	
	69	पैरा 7(25)	अनिर्णीत	
	70	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
	71	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
	72	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत	
	73	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत	
(ग)	**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2012**			
	1	पैरा 4(घ)(2)	अनिर्णीत	
	2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
	3	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत	
	4	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
	5	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
	6	पैरा 5(ट)(i)	आंशिक निर्णीत	(₹31577 अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/15 के दौरान जमा कर दिए गए हैं। दण्ड ब्याज की वसूली शेष है)
	7	पैरा 5(ट)(iii)	अनिर्णीत	
	8	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	

	9	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
	10	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	
	11	पैरा 9	अनिर्णीत	
	12	पैरा 11	अनिर्णीत	
	13	पैरा 13	अनिर्णीत	
	14	पैरा 15	अनिर्णीत	
	15	पैरा 16	अनिर्णीत	
	16	पैरा 22	अनिर्णीत	
	17	पैरा 24	अनिर्णीत	
	18	पैरा 26	अनिर्णीत	
	19	पैरा 27	अनिर्णीत	
	20	पैरा 28	अनिर्णीत	
	21	पैरा 29	अनिर्णीत	
	22	पैरा 30	अनिर्णीत	
	23	पैरा 31	अनिर्णीत	
	24	पैरा 32	अनिर्णीत	
	25	पैरा 33	अनिर्णीत	
	26	पैरा 34	अनिर्णीत	
	27	पैरा 35	अनिर्णीत	
	28	पैरा 37	अनिर्णीत	
	29	पैरा 38(1 से 7)	अनिर्णीत	
	30	पैरा 38(9, 10)	अनिर्णीत	
	31	पैरा 38(14)(ख)	अनिर्णीत	
	32	पैरा 38(15)	अनिर्णीत	
	33	पैरा 38(16)(ख)	अनिर्णीत	
	34	पैरा 38(17)(क)	अनिर्णीत	
	35	पैरा 38(17)(ख)	अनिर्णीत	
	36	पैरा 38(17)(च)	अनिर्णीत	
	37	पैरा 38(17)(छ)	अनिर्णीत	
	38	पैरा 38(18)(क)	अनिर्णीत	
	39	पैरा 38(19)	अनिर्णीत	
	40	पैरा 38(20)	अनिर्णीत	
	41	पैरा 38(21)	अनिर्णीत	
	42	पैरा 38(22)	अनिर्णीत	
	43	पैरा 38(23)	अनिर्णीत	
	44	पैरा 39(क)	अनिर्णीत	
	45	पैरा 39(ग)	अनिर्णीत	
	46	पैरा 41(ख)	अनिर्णीत	
	47	पैरा 42(क)	अनिर्णीत	
	48	पैरा 42(ख)	अनिर्णीत	

	49	पैरा 42(ग)	अनिर्णीत	
	50	पैरा 42(च)	अनिर्णीत	
	51	पैरा 43	अनिर्णीत	
	52	पैरा 44	अनिर्णीत	
	53	पैरा 45	अनिर्णीत	
	54	पैरा 46	अनिर्णीत	
	55	पैरा 47	अनिर्णीत	
	56	पैरा 48	अनिर्णीत	
	57	पैरा 49	अनिर्णीत	
	58	पैरा 50	अनिर्णीत	
(घ)	**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015**			
	1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क के भुगतान का सत्यापन कर लिया गया
	2	पैरा 4	समाप्त	वित्तीय स्थिति।
	3	पैरा 4.1	समाप्त	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
	4	पैरा 4.2	समाप्त	–यथोपरि–
	5	पैरा 5	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	6	पैरा 5.1	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	7	पैरा 5.2	अनिर्णीत	
	8	पैरा 5.3	अनिर्णीत	
	9	पैरा 6	निर्णीत	संशोधित पुनः प्रारूपित
	10	पैरा 7	समाप्त	अद्यतन आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति दर्शाता हुआ अनुच्छेद अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	11	पैरा 7.1	अनिर्णीत	
	12	पैरा 7.2	समाप्त	अद्यतन आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति दर्शाता हुआ अनुच्छेद अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	13	पैरा 7.3	अनिर्णीत	
	14	पैरा 8	अनिर्णीत	
	15	पैरा 9	समाप्त	अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	16	पैरा 10	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	17	पैरा 11	समाप्त	अद्यतन आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति दर्शाता हुआ अनुच्छेद अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	18	पैरा 12	समाप्त	अद्यतन आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति दर्शाता हुआ अनुच्छेद अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	19	पैरा 13	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

	20	पैरा 14	अनिर्णीत	
	21	पैरा 15	अनिर्णीत	
	22	पैरा 16	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	23	पैरा 17	समाप्त	अद्ययतन आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति दर्शाता हुआ अनुच्छेद अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	24	पैरा 18	समाप्त	अद्ययतन आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति दर्शाता हुआ अनुच्छेद अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	25	पैरा 18.1	निर्णीत	परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पशटीकरण के आधार पर निर्णीत किया गया।
	26	पैरा 19	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	27	पैरा 19.1	अनिर्णीत	
	28	पैरा 19.2	अनिर्णीत	
	29	पैरा 19.3	अनिर्णीत	
	30	पैरा 20	निर्णीत	परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पशटीकरण के आधार पर निर्णीत किया गया।
	31	पैरा 21.1	अनिर्णीत	
	32	पैरा 21.2	आंशिक निर्णीत	तालिका के क्रमांक 3 व 4 पर दर्ज राशि रु7756/– (2716+5040) की वसूली कर ली गई है। क्रमांक 1 व 2 पर दर्ज रु5690/– की वसूली शेश है।
	33	पैरा 21.3	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	34	पैरा 21.4	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	35	पैरा 21.5	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	36	पैरा 21.6	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	37	पैरा 21.7	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	38	पैरा 22	समाप्त	अद्ययतन आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति दर्शाता हुआ अनुच्छेद अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	39	पैरा 23	अनिर्णीत	
	40	पैरा 23.1	अनिर्णीत	
	41	पैरा 23.2	अनिर्णीत	
	42	पैरा 23.3	अनिर्णीत	
	43	पैरा 23.4	अनिर्णीत	
	44	पैरा 23.5	अनिर्णीत	
	45	पैरा 24	अनिर्णीत	
	46	पैरा 25	अनिर्णीत	
	47	पैरा 26	अनिर्णीत	
	48	पैरा 27	अनिर्णीत	

	49	पैरा 28	समाप्त	अद्यतन आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थिति दर्शाता हुआ अनुच्छेद अवधि 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है।
	50	पैरा 29	अनिर्णीत	
	51	पैरा 29.1	अनिर्णीत	
	52	पैरा 29.2	अनिर्णीत	
	53	पैरा 30.1	अनिर्णीत	
	54	पैरा 31	अनिर्णीत	
	55	पैरा 32	निर्णीत	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
	56	पैरा 33	निर्णीत	परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पश्टीकरण के आधार पर निर्णीत किया गया।
	57	पैरा 34.1	अनिर्णीत	
	58	पैरा 34.2	अनिर्णीत	
	59	पैरा 34.3	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 31.3.15 को अनिर्णीत पैरों का आरम्भिक शेष	291
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	70
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	29
दिनांक 31.3.2017 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	332